

#### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

ता ।।—Section 3—Sub-section (॥ प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1626]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 24, 2011/भाद्र 2, 1933

No. 1626]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 24, 2011/BHADRA 2, 1933

#### पर्यावरण और वन मंत्रालय

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अंगस्त, 2011

का.आ. 1955(अ).—मारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने समय-समय पर यथासंशोधित का.आ. 630(अ), तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा अधिसूचना जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1998 के माध्यम से देश में सृजित जीव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु एक विनियामक ढांचे का उपबंध किया है।

और केन्द्रीय सरकार लोक हित में और पर्यावरणीय तथा स्वास्थ्य चिंताओं का समाधान करने के लिए, पूर्व में प्रकाशित नियमों का, विहित प्राधिकारियों को और अधिक प्रभावी रूप से नियमों का कार्यान्वयन करने हेतु समर्थ बनाने के लिए पुनर्विलोकन करना आवश्यक समझती है जिससे जीव चिकित्सा अपशिष्ट सृजन में कमी आए और इसका समुचित उपचार और व्ययन भी हो सके तथा इन अपशिष्टों का पर्यावरणीय दुष्टि से सुस्थित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

#### प्रारूप नियम

और कितपय नियमों का निम्निलिखित प्ररूप, जिसे केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1998 को अधिक्रांत करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उन सभी की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना; और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से साठ दिनों की अविध की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, जो विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व उक्त प्रारूप नियमों की बाबत में किसी व्यक्ति और संस्था से प्राप्त हो सकेंंगे केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति जो प्रारूप नियमों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है इस प्रकार विनिर्दिष्ट अविध के भीतर संयुक्त सिचव (पिरसंकटमय पदार्थ प्रबंधन प्रभाग), पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, केन्द्रीय सरकार कार्यालय (सीजीओ) कॉम्पलेक्स, लोधी रोड. नई दिल्ली-110003 को उसे भेज सकेगा।

### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011 है ।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

## 2. लागू होना

- (1) ये नियम उन सभी व्यक्तियों को लागू होंगे जो किसी भी रूप में जीव चिकित्सा अपशिष्ट का जनन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार, व्ययन या हथालन करते हैं और निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे-
  - (क) रेडियोधर्मी अपशिष्ट जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन आते हैं किए गए;
  - (ख) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) के अधीन बनाए गए परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 के अधीन आने वाले गए परिसंकटमय रसायन;
  - (ग) अधिनियम के अधीन बनाए गए नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 के अधीन आने वाले अपशिष्ट;
  - (घ) अधिनियम के अधीन बनाए गए बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2001 के अधीन आने वाले लैंड एसिड बैटरियां;
  - (ङ) अधिनियम के अधीन बनाए गए परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचालन) नियम, 2008 के अधीन आने वाले परिसंकटमय अपशिष्ट ।
- 3. परिभाषाएं- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-
- (1) "अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;
- (2) "पशु गृह" ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां जीव जंतुओं को अनुसंधान या परीक्षण के प्रयोजनों पशुओं का पालन पोषण किया जाता है/रखा जाता है;
- (3) "प्राधिकरण" से अभिप्राय इन नियमों और भारत सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण और वन मंत्रालंय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार जीव चिकित्सा अपशिष्ट के जनन संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार, व्ययन और/या किसी भी अन्य प्रकार के हथालन के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई अनुमित अभिप्रेत है।
- (4) "प्राधिकृत व्यक्ति" से इन नियमों और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण और वन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और जारी किए गए मार्ग दर्शन सिद्धांतों के अनुसार जीव चिकित्सा अपशिष्ट के जनन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार, व्ययन और/या किसी भी अन्य प्रकार के हथालन हेतु के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अधिभोगी या प्रचालक अभिप्रेत है।

- (5) "जीवं चिकित्सा अपशिष्ट" से कोई ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है, जिसका जनन मानवों या पशुओं के निदान, उपचार या प्रतिरक्षण के दौरान या उससे संबंधित अनुसंधान कार्यकलापों या जैविकीय उत्पादन या परीक्षण में जिसके अधीन इन नियमों की अनुसूची-। में उल्लिखित प्रवर्ग भी है, के दौरान हुआ है;
- (6) "जैविक" से जीवों या सूक्ष्मजीवों का उपापच्छ या जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के उत्पादों से बनाई गई विनिमितियां जो मानवों या पशुओं के निदान प्रतिरक्षण या उपचार में या उससे संबंधित अनुसंधान कार्यकलापों में उपयोग के लिए आशयित है;
- (7) "जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और व्ययन सुविधा" से कोई ऐसी सुविधा अभिप्रेत है जिसमें जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उपचार, व्ययन या ऐसे उपचार और व्ययन से आनुसंगिक प्रक्रियाएं की जाती है और इसमें सामान्य उपचार सुविधाएं भी सम्मिलित है;
- (8) "अधिभोगी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का जनन करने वाली संस्था और परिसर पर प्रशासनिक नियंत्रण हो, और भवन पर प्रशासकीय नियंत्रण हो, जिसमें अस्पताल, निर्संग होम, क्लीनिक, औषधालय, पशु-चिकित्सा संस्थान, जीव जंतुसदन, विकृति विज्ञान प्रयोगशाला, रक्त बैंक, स्वास्थ्य देखरेख सुविधा और कलीनिकता प्रतिष्ठान भी सम्मिलित हैं, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाता हो;
- (9) "किसी समान जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा के प्रचालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो जीव चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार, व्ययन या किसी भी प्रकार के हथालन हेतु किसी साझा सुविधा का स्वामी है या उसे नियंत्रित या प्रचालित करता है;
- (10) "अनुसूची" से इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
- (11) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध में प्ररूप अभिप्रेत है

### 4. अधिभोगी के कर्त्तव्य.-

प्रत्येक अधिभोगी का कर्त्तव्य होगा किः

- (1) यह सुनिश्चित करेने के लिए सभी उपाय करे कि जीव चिकित्सा अपशिष्ट का हथालन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों के अनुसार है ।
- (2) जीव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन में अन्तर्विलित कर्मकारों और अन्यों को स्वास्थ्य की देख-रेख के लिए प्रशिक्षण प्रदान करे;
- (3) जीव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन में अन्तर्विलित कर्मकारों और अन्यों को उन रोगों से बचाने के लिए अपने स्वास्थ्य का प्रतिरक्षण करे जिनका जीव चिकित्सा के हथालन के कारण संक्रमण हो जाने की संभावना है।
- (4) इन नियमों के अनुसार जनन बिन्दु पर जीव चिकित्सा अपशिष्ट के पृथक्करण सुनिष्टियत करना ।
- (5) समुचित और पर्याप्त व्यक्तिगत संरक्षणकारी उपस्कर प्रदान करते हुए जीव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन में अन्तर्विलित अपने सभी देखरेख कर्मकारों और अन्यों की व्यावसायिक सुरक्षा सुनिष्चित करना।

- (6) जीव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन में अन्तर्विलित अपने सभी स्वास्थ्य देखरेख कर्मकारों और अन्यों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच आयोजित करना और उसका अभिलेख रखना ।
- (7) जीव चिकित्सा अपशिष्ट के आंतरिक रूप से हथालन हेतु अपेक्षित आवश्यक उपस्करों और सामग्री की नियमित आपूर्ति स्थापित करना ।
- (8) जीव चिकित्सा अपशिष्ट की मात्रा, विभिन्न प्रवर्ग और व्ययन की अंतिम पद्धति के अनुसार अनुसूची-। में यथाविनिर्दिष्ट जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंध का रजिस्टर अनुरक्षित करना और इसे प्रतिदिन अद्यतन करना।
- (9) जीव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन के दौरान अप्रत्याशित अनचाही दुर्घटनाओं जैसे गहरी चोट लगना, पारे का बिखराव, अग्नि संकट की रिपोर्ट करने की और उपचारात्मक कार्रवाई की पद्धित विकसित करना । ऐसे अभिलेखों को रखा जाएगा और वार्षिक रिपोर्ट के साथ विहित प्राधिकारी को प्ररूप-।।। में प्रस्तुत किया जाएगा तथा इसे शून्य रिपोर्ट होने पर भी उपदर्शित किया जाना चाहिए।
- (10) यदि किसी सुविधा का प्रचालक आशचित समय के भीतर या सहमत अनुसूची के अनुसार जीव चिकित्सा अप्रशिष्ट एकत्र नहीं करता तो विहित प्राधिकारी को तत्काल सूचित करना ।
- (11) यदि 30 से अधिक बिस्तर की सुविधा हैं तो जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंध से संबंधित कार्यकलापों का पुनर्विलोकन और मॉनीटर करने के लिए एक जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंध प्रकोष्ठ या इकाई स्थापित करना। ऐसी इकाई या प्रकोष्ठ छह मास में एक बार बैठक करेंगे और उक्त बैठकों के कार्यवृत्त का अभिलेख वार्षिक रिपोर्ट सहित विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

# 5. साझा जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा प्रचालक के कर्त्तव्य.-

- (1) यह सुनिष्टिंचत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए कि अधिभोगी से संग्रहित जीव चिकित्सा अपिष्टि का प्रत्येक प्रचालक का यह कर्तव्य होगा कि हथालन भंडारण उपचार और व्ययन इन नियमों के अनुसार मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जा रहा है।
- (2) स्वास्थ्य देखरेख सुविधा से जीव चिकित्सा अपशिष्ट का इन नियमों के अधीन विहित के अनुसार समय से एकत्रण को सुनिश्चित करना ।
- (3) ऐसे स्वास्थ्य देखरेख प्रतिष्ठानों (एचसीई) या स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं (एचसीएफ) के संबंध में, जो इन नियमों के प्ररूप 6 में यथाविहित के अनुसार पृथक किए गए जीव चिकित्सा अपशिष्ट को सौंप नहीं रहे हों, विहित प्राधिकारी को तत्काल सूचित करना।
- (4) जीव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन में अन्तर्विलित अपने सभी कर्मकारों को प्रशिक्षण प्रदान करना ।
- (5) जीव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन में अर्चविलत संक्रमण की संभावना वाले रोगों के बचाव हेतु जीव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन में सम्मिलित अपने सभी कर्मकारों की समुचित ढंग से तैनाती पूर्व चिकित्सा जांच और आविधक चिकित्सा जांच और प्रतिरक्षण करवाना तथा उसके अभिलेख का अनुरक्षण करना।
- (6) जीव चिकित्सा अपशिष्ट का हथालन में अन्तर्विलित अपने सभी कर्मकारों को समुचित और पर्याप्त व्यक्तिगत संरक्षणकारी उपस्कर प्रदान करते हुए उनकी व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।

- (7) जीव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन के दौरान अनाशयित दुर्घटनाओं जैसे गहरी चोट लगना, पारे का बिखराव, अग्नि संकट और की गई उपचारात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट करने की प्रणाली विकसित करना । ऐसे अभिलेखों का अनुरक्षण और वार्षिक रिपोर्ट के साथ विहित प्राधिकारी को प्ररूप-।।। में प्रस्तुत करना तथा उसे शून्य रिपोर्ट होने पर भी दर्शाया जाना चाहिए।
- (8) अपने प्रत्येक उपचार उपस्कर के लिए बैच के भार; उपचारित अपशिष्ट की श्रेणियों; उपचार चक्र के समय, तारीख और अवधि तथा प्रचालन के कुल घंटों के अनुसार एक लॉग बुक रखना।

### 6. प्राधिकारियों के दायित्व.-

अनुसूची-6 के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी इन नियमों के उपबंधों के अनुसार उक्त अनुसूची के स्तंभ 3 में यथानिविर्दिष्ट कर्तव्यों का निष्पादन करेगा।

#### 7. उपचार और व्ययन.-

- (1) जीव चिकित्सा अपशिष्ट का उपचार और व्ययन अनुसूची-। के अनुसार और अनुसूची 5 में विहित मानकों के अनुपालन में किया जाएगा ।
- (2) किसी साझा जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा के अधिभोगी या प्रचालक सहित कोई भी व्यक्ति जिसका जीव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार हेतु अनुसूची-। में सूचीबद्ध के उपचार से भिन्न उपचार की नई प्रौद्योगिकियों का आशय है, केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नई प्रौद्योगिकी की उपयुक्तता का पूर्व अनुमोदन और मानकों या प्रचालन मानदंडों के निर्धारण हेतु संपर्क करेगा । अनुमोदन हो जाने पर, नई प्रौद्योगिकी हेतु मानक पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे और तदनुसार अनुसूची-1 और 5 को उपान्तरित किया जाएगा ।
- (3) प्रत्येक अधिभोगी अपना प्रचालन आरंभ करने से पहले या तो उसके परिसर में उत्पन्न जीव चिकित्सा अपिशष्ट के उपचार के लिए अपिशष्ट के उपचार हेतु ऑटोक्लेव या माइक्रोवेव, श्रेडर जैसे अपने स्वयं के जीव चिकित्सा अपिशष्ट उपचार उपस्कर स्थापित करेगा या किसी प्राधिकृत साझा जीव चिकित्सा अपिशष्ट उपचार सुविधा या किसी अन्य प्राधिकृत अपिशष्ट उपचार सुविधा के माध्यम से जीव चिकित्सा अपिशष्ट का अपिक्षित उपचार सुनिश्चित करेगा:

परन्तु यह और कि विहित प्राधिकारी पांच सौ या उससे अधिक बिस्तरों की क्षमता वाले अधिभोगी को प्राप्तकर्ता पर्यावरण और ऐसी कार्रवाई की आवश्यकता वाले स्थान के आधार पर एक भस्मक स्थापित करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा है

- (4) किसी साझा जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा का प्रत्येक प्रचालक अपना प्रचालन आरंभ करने से पहले उपचार के एक भाग के रूप में भस्मक, ऑटोक्लेव या माइक्रोवेव, श्रेडर और बहिस्राव उपचार संयंत्र स्थापित करेगा।
- (5) जीव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन हेतु क्लोरीनिकृत प्लास्टिक बैग्स के उपयोग को प्रतिसिद्ध किया जाएगा और साझा जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा का अधिभोगी या प्रचालक ऐसे प्लास्टिकों भस्क करते हुए द्वारा व्ययन नहीं करेगा।

- (6) किसी साझा जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा का अधिभोगी या प्रचालक प्लास्टिक और शीशे जैसे पुनर्चक्रण योग्य जैव-चिंकित्सीय अपशिष्टों को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति की अनुमित प्राप्त प्राधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के माध्यम से ऑटोक्लोकिंग या माइक्रोवेविंग द्वारा उपचार सुनिश्चित करते हुए व्ययन करेगा और इसके बाद, जहां कहीं भी लागू हो, क्षतिवक्षत/चिथड़े करते हुए व्ययन करेगा। अधिभोगी नीलाम या बेचे गए ऐसे पुनर्चक्रणयोग्य अपशिष्टों का अभिलेख रखेगा और उसे विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
- (7) पारे वाले चिकित्सीय औजारों के टूट जाने की स्थिति में, पर्यावरण में पारे को छोड़े जाने से बचने या उसकी मात्रा कम करने के उद्देश्य से अधिभोगी द्वारा ऐसे अपशिष्ट को जहां तक संभव हो पृथक करने और केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार इसके समुचित एकत्रण, भंडारण तथा व्ययन के लिए भी आवश्यक सावधानियां बरती जाएंगी। यदि जीव चिकित्सा अपशिष्ट में पारे की मात्रा परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008 के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो तो उसका इन नियमों के अनुसार व्ययन किए जाने की आवश्यकता है।

### 8. पृथक्करण, पैकेजिंग, परिवहन और भंडारण.-

- (1) अनुपचारित जीव चिकित्सा अपशिष्ट को अन्य अपशिष्टों के साथ नहीं मिलाया जाएगा ।
- (2) जीव चिकित्सा अपशिष्ट को उसके भंडारण, परिवहन, उपचार और व्ययन से पहले अनुसूची-2 के अनुसार सृजन के स्थान पर आधान या थैलों में पृथक किया जाएगा।
- (3) आधान पर अनुसूची-3 के अनुसार लेबल लग्गया जाएगा ।
- (4) परिवहनकर्ता किसी अधिभोगी के परिसर केवल से अनुसूची-4 में विहित आवश्यक सूचना सहित अनुसूची 3 में यथाविहित लेबल वाले जीव चिकित्सा अपशिष्ट का ही किसी ऑफ साइट जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा के लिए परिवहन करेगा।
- (5) मोटर यान अधिनियम, 1988 या उसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किया है अनुपचारित जीव चिकित्सा अपिशष्ट का परिवहन ऐसे यान में किया जाएगा।
- (6) प्रवर्ग 1,2,3 और 6 के अनुपचारित जीव चिकित्सा अपशिष्ट का अड़तालीस घंटों की अवधि से अधिक भंडारण नहीं किया जाएगा:

परन्तु यदि किसी कारणवश ऐसे अपशिष्ट कां उक्त अवधि से आगे भंडारण करना आवश्यक हो जाता है तो प्राधिकृत व्यक्ति विहित प्राधिकारी से पूर्व अनुमित लेगा और यह सुनिश्चित करने के उपाय करेगा कि इस अपशिष्ट से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(7) क्षेत्र का नगर पालिका निकाय अस्पतालों और निर्मंग होम में सृजित पृथक किया गया गैर जीव चिकित्सा ठोस अपिशष्ट और साथ ही विधिवत उपचारित जीव चिकित्सा अपिशष्टों को व्ययन हेतु उठाने और नगरपालिका के जमाव स्थल पर पहुंचाने का कार्य करता रहेगा।

#### 9. विहित प्राधिकरणः-

- (1) इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए विहित प्राधिकरण राज्यों के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण समितियां होंगी ।
- (2) सभी स्वास्थ्य देखरेख प्रतिष्ठानों के संबंध में, जिसके अंतर्गत रक्षा मंत्रालय के अधीन सशस्त्र सेना के अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लीनिकों, औषधालयों, पशु-चिकित्सा संस्थानों, पशु गृह, विकृति विज्ञान प्रयोगशालाओं और रक्त बैंक भी हैं इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन हेतु विहित प्राधिकारी महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं है। इस संबंध में विहित प्राधिकारी रक्षा मंत्रालय के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।
- (3) विहित प्राधिकारी संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।
- (4) विहित प्राधिकारी इन नियमों की अनुसूची 4 की क्रम संख्या 6 पर यथा अनुबधिता उत्तरदायित्वों का अनुपालन करेगा ।

### 10. प्राधिकार के लिए प्रक्रिया.-

- (1) जीव चिकित्सा अपशिष्ट के सृजन या संग्रहण या ग्रहण या भंडारण या परिवहन या व्ययन और/या हथालन में अन्तर्विलित साझा जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा का प्रत्येक अधिभोगी या प्रचालक, जीव चिकित्सा अपशिष्ट सृजन की मात्रा चाहे कुछ भी हो, प्राधिकार प्रदान करने के लिए विहित प्राधिकारी को प्ररूप-। में आवेदन करेगा।
- (2) विहित प्राधिकारी प्ररूप-। की प्राप्ति पर ऐसी जांच करेगा जो वह उपयुक्त समझे और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक के पास इन नियमों के अनुसार जीव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन के लिए आवश्यक क्षमता है तो वह प्राधिकार यथा स्थिति प्रदान या उसका नवीकरण कर सकेगा।
- (3) साझा जीव चिकित्सा अपिषट उपचार सुविधा का अधिभोगी/प्रचालक को अपिषट प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता प्रदर्शित करने के लिए समर्थ बनाने हेतु प्ररूप 4 में एक वर्ष की परीक्षण अविध हेतु अनंतिम प्राधिकार प्रदान किया जाएगा । परीक्षण अविध के दौरान समाधानप्रद निष्पादन होने पर, प्राधिकार का पांच वर्ष की और अविध के लिए नवीकरण किया जाएगा और यदि वह आवश्यक समझता है, तो पांच वर्षों की एक और अविध के लिए किया जा सकेगा ।
- (4) विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के पश्चात कारणों का और लेखबद्ध किए जाने वाले उसके कारणों से प्राधिकार के नवीकरण की मंजूरी या अस्वीकृति दी जा सकेगी।
- (5) प्राधिकार के लिए प्रत्येक आवेदन का व्ययन विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसे आवश्यक दस्तावेजों सिहत सम्यक रूप में पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अविध के भीतर किया जाएगा, जिसके न होने पर यह समझा जाएगा कि इन नियमों के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकार दिया गया है ।

(6) यदि अधिभोगी या प्रचालक इस अधिनियम या इन नियमों के किसी उपबंध का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो विहित प्राधिकारी लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यदि कोई हो, प्राधिकार रद्द या निलंबित कर सकेगा:

परन्तु कि अधिभोगी या प्रचालक को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना कोई भी प्राधिकार रद्द या निलंबित नहीं किया जाएगा ।

(7) प्रत्येक अधिभोगी या प्रचालक जीव चिकित्सा अपशिष्ट के जनन, हथालन, उपचार और व्ययन संबंधी कार्यकलाप, जिसके लिए पूर्व में प्राधिकार दिया गया था, में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना विहित प्राधिकारों को दी जाएगी और प्राधिकार की शतों में उपान्तरण के लिए प्ररूप-1 में नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

### 11. सलाहकार समिति.-

- (1) प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार राज्य स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में एक सलाहकार सिमिति का गठन करेगी । इस सिमिति में राज्य के स्वास्थ्य, पर्यावरण, शहरी विकास, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान विभागों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण सिमिति, स्थानीय निकायों या शहरी या नगर निगमों के प्रतिनिधि, भारतींय चिकित्सा, समान जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि सिम्मिलित होंगे । सलाहकार सिमिति की छह मास में एक बार बैठक आयोजित की जाएगी और इसमें जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम के कार्यान्वयन संबंधी विषयों का पुनर्विलोकन किया जाएगा ।
- (2) उपर्युक्त उप नियम (i) में किसी बात के होते हुए भी, रक्षा मंत्रालय द्वारा उस मंत्रालय में इन नियमों के कार्यान्वयन संबंधी मामलों में महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा और रक्षा मंत्रालय को सलाह देने के लिए रक्षा मंत्रालय के अधीन सशस्त्र सेना की सभी स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की सुविधाओं के संबंध में निम्नलिखित को मिलाकर एक सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा; अर्थात्:-

(i) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा का अपर महानिदेशक .... अध्यक्ष

(ii) रक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि .... सदस्य (उप सचिव से नीचे की पंक्ति का नहीं जिसे उस मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा)

(iii) पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि .... सदस्य (उप सचिव से नीचे की पंक्ति का नहीं जिसे उस (मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा)

(iv) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि .... सदस्य (उप सचिव से नीचे की पंक्ति का नहीं जिसे उस मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा) (v) सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय/कमांड अस्पताल .... सदस्य का एक प्रतिनिधि (डीजीएएफएमएस द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा)

रक्षा मंत्रालय अन्य सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से ऐसे प्रतिनिधियों को सहयोजित कर सकेगी जिन्हें जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंध के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है ।

सलाहकार सिमिति छह मास में एक बार बैठक करेगी जिसमें सशस्त्र सेना स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियमों के कार्यान्वयन संबंधी सभी मामलों की समीक्षा की जाएगी।

- (4) सशस्त्र सेना स्वास्थ्य सुविधा में नियमों के कार्यान्वयन को मानिटर करना :-
- (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रक्षा मंत्रालय के अधीन सभी सशस्त्र सेना स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के संबंध में इन नियमों के कार्यान्वयन की को मानिटर करेगा;
- (ख) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशक को पूर्व सूचना देने के पश्चात्, और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियम 11के उप नियम (3) के अधीन गठित सलाहकार समिति के एक या अधिक प्रतिनिधियों के साथ, यदि आवश्यक समझे, किसी भी सशस्त्र सेना स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठान का निरीक्षण कर सकेगा ।
- (5) जीव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं में जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियंमों के अनुपालन को मानिटर करने के लिए सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को सरकारों द्वारा जिला चिकित्सा अधिकारी या उसके द्वारा नामनिदेशित अधिकारी की अध्यक्षता में जिलों में जिला स्तरीय मानिटर समिति गठित की जाएगी और जिला स्तरीय मानिटर समिति द्वारा छह मास में अपनी रिपोर्ट राज्य सलाहकार समिति को प्रस्तुत की जाएगी तथा आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु रिपोर्ट की प्रति केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या पर्यावरण और वन मंत्रालय और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को भेजी जाएगी । जिला चिकित्सा अधिकारी या उसके द्वारा नामनिदेशित अधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय निगरानी समिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी या जिला स्वास्थ्य अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, स्थानीय निकायों या नगर निगम, भारतीय चिकित्सा संघ, साझा जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंध के क्षेत्र में कार्यरत रिजस्ट्रीकृत गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे । आवश्यक होने पर इस समिति में अन्य सदस्यों को भी सम्मिलित किया जा सकेगा।

### 12. **वार्षिक रिपोर्ट.-**

- (1) साझा जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा का प्रत्येक अधिभोगी या प्रचालक विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी तक, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रबंधित जीव चिकित्सा अपशिष्टों के प्रवर्गों और मात्राओं के बारे में सूचनाओं को सिम्मिलित करने के लिए विहित किए गए क्रमशः प्ररूप-2 या प्ररूप 2क में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (2) विहित प्राधिकारी करेगा इस सूचना को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक संकलित रूप में भेजेगा ।

(3) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस सूचना को प्रत्येक वर्ष 30 जून तक पर्यावरण और वन मंत्रालय को एक संकृतित रूप में भेजेगा ।

#### 13. अभिलेखों को रखा जाना.-

- (1) प्रत्येक प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा इन नियमों या जारी किए गए किन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जीव चिकित्सा अपशिष्ट के जनन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार, व्ययन और/या किसी अन्यं स्वरूप के हथालन से संबंधित अभिलेख का अनुरक्षण करेगा।
- (2) सभी अभिलेख किसी भी समय विहित प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण और सत्यापन के अध्यधीन होंगे।

### 14. दुर्घटना की रिपोर्टिंग.-

जब किसी संस्था या सुविधा या जीव चिकित्सा अपशिष्ट का हथालन किए जाने वाले किसी स्थल पर या ऐसे अपशिष्ट के परिवहन के दौरान कोई दुर्घटना होती है तो प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा तुरन्त विहित प्राधिकारी को प्ररूप-3 में दुर्घटना की रिपोर्ट देगा।

### 15. **अपील.-**

(1) इन नियमों के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश से व्यक्ति कोई भी व्यक्ति उस तारीख से जिसको उसे आदेश की संसूचना दी जाती है तीस दिन के भीतर राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिव (पर्यावरण) को प्ररूप 5 में अपील कर सकेगा:

परन्तु प्राधिकारी तीस दिन की उक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को द्वारा समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

(2) इन नियमों के अधीन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के आदेश से व्यक्ति कोई भी व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको उसे आदेश संसूचित किया जाता है, तीस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और बन मंत्रालय को प्ररूप 5 में अपील प्रस्तुत कर सकेगा:

परन्तु प्राधिकारी तीस दिनों की उक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात् अपील पर ग्रहण कर सकेगा, यदि वह उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय पर अपील फाइल न कर पाने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

### 16. सामान्य व्ययन या भस्मीकरण स्थल.-

इन नियमों के नियम 5 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, नगर निगम, नगरपालिका या स्थानीय निकाय, अपने अधिकारिता के भीतर उत्पन्न जीव चिकित्सा अपिशष्टों के लिए उपयुक्त सामान्य व्ययन या भस्मीकरण स्थल उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होगा।

# 17. किसी सुविधा के अधिभोगी, प्रचालक का दायित्व.-

- (1) सामान्य जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा का अधिभोगी या प्रचालक, जीव चिकित्सा अपशिष्टों के अनुचित हथालन या जीव चिकित्सा अपशिष्टों के व्ययन निपटान के कारण पर्यावरण या जनता को होने वाले सभी नुकसानों के लिए जिम्मेदार होगा।
- (2) सामान्य जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचारं सुविधा का अधिभोगी या प्रचालन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 और धारा 15 के अधीन कार्रवाई के लिए दायी होगा ।

# अनुसूची 1 (नियम ४ और ७ देखें)

प्रवर्ग	अपशिष्ट प्रवर्ग (प्रकार)	उपचार और व्ययन के विकल्प
प्रवर्ग सं. १	मानवीय शारीरिक अपशिष्ट	भ <del>र</del> मीकरण <sup>@@</sup>
	(मानवीय उत्तक, अंग, शरीर के अवयव)	
प्रवर्ग सं. 2	पशु अपशिष्ट	भ <del>र</del> मीकरण <sup>@@</sup>
	(पशु उतक, अंग, शरीर के अवयव, मृत शरीर,	
	रक्त साबित अंग, द्रव, रक्त और अनुसंधान में	
	प्रयुक्त प्रयोगात्मक पशु, पशु-चिकित्सा	
	अस्पतालों/महाविद्यालयों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट,	
	अस्पतालों, पशु गृहों से स्राव)	
प्रवर्ग सं. 3	सूक्ष्म जैविकी और जैव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट	रासायनिक उपचार <sup>®</sup> स्रोत पर या
	और अन्य प्रयोगशाला अपशिष्ट	ऑटोक्लेविंग/माइक्रोवेविंग द्वारा
	(नैदानिक नमूनों, रोग विज्ञान, जैव-रसायन,	विसंक्रमण के पश्चात्
	रूधिर विज्ञान, रक्त बैंक, प्रयोगशाला संवर्धी,	म्युटिलेशन/श्रेडिंग## और उपचार के
	सजीव या तनुकूल टीकों, अनुसंधान में प्रयुक्त	पश्चात् सुरक्षित खते में अंतिम व्ययन
	मानवीय और पशु कोशिका संवर्ध और	या पंजीकृत या प्राधिकृत
!	अनुसंधान और औद्योगिक प्रयोगशालाओं से	पुनर्चक्रणकर्ता के माध्यम से
	संक्रामक कर्मक के अपशिष्ट, जैविक, जीव-	पुनर्चक्रणयोग्य अपशिष्टों (प्लास्टिक
	विषों, संवधौं के हस्तांतरण हेतु प्रयुक्त दिशों	या कांच) का व्ययन ।
	और यंत्रों के उत्पादन से अपशिष्ट)	
प्रवर्ग सं. 4	नोकदार अपशिष्ट	रासायनिक उपचार <sup>®</sup> द्वारा विसंक्रमण
	(सुईयां, शीशे की सीरिंज या स्पिर सुइयों	या सुई और रिपकटर, ऑटोक्लेविंग
	वाली सीरिंज, स्कालपेल, ब्लेड, शीशा आदि जो	या माइक्रोवेविंग द्वारा भंजन के पश्चात
	वेधन या कर्तन का कारण बन सकते हैं। इनमें	म्यूटिलेशन या श्रेडिंग्# जो भी
	प्रयुक्त और अप्रयुक्त, दोनों प्रकार की नोकदार	प्रयोज्य हो, और प्राधिकृत
	सामग्रियां सम्मिलित हैं।)	सीबीडब्ल्यूटीएफ के माध्यम से अतिम
		व्ययन या सूरिक्षत खते या अधिकृत
		कंक्रीट अपशिष्ट शार्प पिट में व्ययन ।

प्रवर्ग सं. 5	परिव्यक्त औषधियां और साइटोटॉक्सिक	सुरक्षित खते में व्ययन या
·	<b>औषधियां</b>	भस्मीकरण <sup>@@</sup>
ŀ	(पुरानी, संदूषित और परिव्यक्त दवाईयों वाले	
	अपशिष्ट)	
प्रवर्ग सं. 6	ठोस अपशिष्ट	भ <del>र</del> मीकरण <sup>@@</sup>
	(रूई, ड्रेसिंग, ठोस प्लास्टर कास्ट, कपड़ों	·
	सहित रक्त से संदूषित सामग्रियां, और	·
	शारीरिक द्रव रक्त से संदूषित अन्य सामग्री	
प्रवर्ग सं. 7	संक्रामक ठोस अपशिष्ट	रासायनिक उपचार <sup>®</sup> या ऑटोक्लेविंग
	(अपशिष्ट नुकीली वस्तुओं जैसे ट्यूबिंग,	या माइक्रोवेविंग द्वारा विसंक्रमण के
	दस्तानों, आईवीट्यूबों वाली सलाइन बोतलों,	पश्चात म्यूटिलेशन या श्रेडिंग## और
	कैथेटरों, शीशा, इन्ट्रावेनस सैट आदि के	उपचार के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत या
. j.	अलावा डिस्पोजेसेना सामग्रियों से उत्पन्न	अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के माध्यम
	अपशिष्ट)	से अंतिम व्ययन
प्रवर्ग सं. 8	रासायनिक अपशिष्ट	इन नियमों के अधीन अधिसूचित
	(जैविकीय सामग्रियों में प्रयुक्त रसायन,	मानकों के को पूरा करने के लिए
	विसंक्रमण में प्रयुक्त रसायन जैसे कीटनाशी	रासायनिक उपचार <sup>®</sup> और नालों में
	आदि)	स्राव और ठोस अपशिष्टों का सुरक्षित
		खत्ते में व्ययन

#### टिप्पण:

- कम से कम 1% हाइपोक्लोराइट घोल या किसी अन्य समतुल्य रासायनिक अभिकर्मक के प्रयोग से रासायनिक उपचार । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रासायनिक उपचार से विसंक्रमण सुनिश्चित हो ।
- \*\* म्यूटिलेशन/श्रेडिंग इस प्रकार होना चाहिए कि अप्राधिकृत पुनःप्रयोग को रोका जा सके ।
- <sup>@@</sup> भस्मीकरण से पूर्व कोई रासायनिक पूर्व उपचार नहीं होगा । क्लोरीनीकृत प्लास्टिक/थैलों का भस्मीकरण नहीं किया जाएगा ।

शहरों और नगरों में जीव चिकित्सा अपिशष्ट का गहराई में दबाकर व्ययन करना निषिद्धध होगा। गहराई में दबाकर व्ययन की अनुमित विहित प्राधिकारी की पूर्वानुमित से केवल ग्रामीण क्षेत्रों में है जहां सामान्य जैव चिकित्सीय अपिशष्ट उपचार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। गहराई में दबाकर व्ययन की सुविधा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी उपबंधों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अवस्थित की जाएगी।

प्रयोगशाला, धुलाई, सफाई, हाउस कीपिंग और विसंक्रमण कार्यकलापों से उत्पन्न द्रव अपशिष्ट का उपचार इस प्रकार किया जाएगा कि जिससे अधीन अनुबद्ध विसर्जन मानकों को पूरा किया जा सके ।

भस्मीकरण राख का (किसी भी जीव चिकित्सा अपशिष्ट के भस्मीकरण की राखों में) यदि विहित सीमा से अधिक मात्रा में विषाक्त या संकटमय अवयव मौजूद हों, तो इसका व्ययन सुरक्षित खत्ते में माध्यम से किया जाएगा, जैसा कि परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008 में दिया गया है।

## अनुसूची 2 (नियम 8 देखें)

# जीव चिकित्सा अपशिष्टों के व्ययन हेतु कन्टेनरों की रंग संकेतन और प्रकार

रंग संकेतन	प्रयोग किए जाने वाले कन्टेनर का प्रकार	अपशिष्ट प्रवर्ग संख्या	अनुसूची । के अनुसार उपचार के विकल्प
पीला	गैर-क्लोरीनीकृत प्लास्टिक बैग	प्रवर्ग 1,2,5,6	भस्मीकरण
लाल	नुकीली वस्तुओं हेतु गैर- क्लोरीनीकृत प्लास्टिक बैग/पन्कचर मुक्त कन्टेनर	प्रवर्ग 3,4,7 (4- अपशिष्ट नुकीली सामग्री) (पूववर्ती नियमों में, ठोस अपशिष्ट लाल रंगों के हैं)	अनुसूची । के अनुसार (नियम 7)
नीला	गैर-क्लोरीनीकृत प्लास्टिक बैग कन्टेनर	प्रवर्ग ८ (रासायनिक अपशिष्ट)	अनुसूची । के अनुसार (नियम 7)
काला	गैर-क्लोरीनीकृत प्लास्टिक बैग	नगरीय अपशिष्ट	नगरीय क्षेपण स्थलों पर निपटान

### टिप्पण :


- 1. भस्मीकरण की अपेक्षा वाले अपिशष्ट हेतु अपिशष्ट संग्रहण बैग, क्लोरीनीकृत प्लास्टिक के नहीं बनाए जाएंगे ।
- 2. यदि प्रवर्ग 3 का विसंक्रमण स्थानीय रूप से किया जाए तो कन्टेनरों/भैर क्लोरीनीकृत प्लास्टिक बैंगों में रखे जाने की आवश्यकता नहीं है।
- 3. नगरीय ठोस अपशिष्ट जैसे कार्यालय अपशिष्ट (या कागज के अपशिष्ट), रसोई अपशिष्ट, भोजन संबंधी अपशिष्ट और अन्य गैर संक्रामक अपशिष्ट को काले रंग के कन्टेनरों/बैगों में एकत्रित किया जाएगा और इसका व्ययन नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा।

# अनुसूची 3 (नियम 8 देखें)

# जीव चिकित्सा अपशिष्ट कन्टेनरों/थैलियों के लिए लेबल



# साइटोटोविसक हेजाई चिह्न



सावधानीपूर्वक उपयोग करें

टिप्पणी : लेबल धुलाई योग्य नहीं होगा और प्रमुखता से दिखाई देने वाले होंगे ।

अनुसूची 4 (नियम 8 देखें) जीव चिकित्सा अपशिष्ट कन्टेनरों या थैलियों के परिवहन हेतु लेबल

	दिन मास वर्ष सृजन की तारीख
अपशिष्ट प्रवर्ग सं	
अपशिष्ट मात्रा	
प्रेषक का नाम और पता	प्राप्तकर्ता का नाम और पता
दूरभाष सं	दूरभाष सं
टेलेक्स सं	टेलेक्स सं
फैक्स सं	फैक्स सं
संपर्क सूत्र	संपर्क सूत्र

आपात स्थिति में कृपया निम्नलिखित से संपर्क करें

नाम और पता : दूरभाष सं.

टिप्पणी :

लेबल धुलाई योग्य नहीं होंगे और प्रमुखता से दिखाई देने वाले होंगे।

## अनुसूची 5 (नियम 7 और अनुसूची 1 देखें)

# जीव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार और व्ययन हेतु मानक

1. भस्मकों के लिए मानक.-

भरमकों में निम्नलिखित प्रचालन और उत्सर्जन संबंधी मानक होंगे ।

क. प्रचालन संबंधी मानक

- 1. दहन दक्षता (सीई) कर ले कम 99.00% होगी।
- दहन दक्षता की गणना इस प्रकार की जाएगी : सी.ई. = %सीओ<sub>2</sub> X 100 %सीओ<sub>2</sub> + %सीओ

3. प्राइमरी चैम्बर का तापमान 800 +50डिग्री.सी.

4. सेकेन्डरी चैम्बर गैस रहने का समय स्टेक गैस में न्यूनतम 3% ऑक्सीजन सहित 1050+ 50डिग्रीसी⁰ होगा ।

ख. उत्सर्जन मानक

पैरामीटर	(12% सीओ <sub>2</sub> संशोधन) पर सांद्रण एमजी/एनएम <sup>3</sup>
(1) महीन कण	150
(२) नाइट्रोजन डॉक्साइड	450
(३) एचसीआई	50
(4) गटठर की न्यूनतम ऊंचाई भूमि से	30 मीटर ऊपर होगी ।
(5) राख में काष्पशील कार्बनिक यौगिक	0.01% से अधिक नहीं होंगे ।

### टिप्पण :

- (क) यदि आवश्यक हो, तो उपर्युक्त उत्सर्जन सीमाओं की प्राप्ति हेतु भस्मक में उपयुक्त रूप से तैयार किए गए प्रदूषण संरक्षण यंत्र लगे होने चाहिए या बाद में लगा देने चाहिए ।
- (ख) भस्म किए जाने वाले अपशिष्टों को किसी भी प्रकार के क्लोरीनेटिड जीवाणुनाशकों से उपचारित नहीं किया जाएगा ।
- (ग) क्लोरिनेटिड प्लास्टिक को भस्म नहीं किया जाएगा ।
- (घ) भस्म राख में विषैली धातुओं को परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन तथा सीमापारीय संचलन) नियम, 2008 के अधीन यथापरिभाषित विनियामक मात्राओं के भीतर सीमित रखा जाएगा।
- (ङ) भस्मक में ईंधन के रूप में केवल हल्के डीजल ऑयल या न्यून सल्फर भारी स्टॉक या डीजल जैसे न्यून सल्फर ईंधन का प्रयोग किया जाएगा ।
- (च) किसी साझा जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा का अधिभोगी या प्रचालक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन अनुमोदित किसी प्रयोगशाला के माध्यम से तीन मास में एक बार स्टैक गैसीय उत्सर्जन (भस्मक की ईष्टतम क्षमता के अधीन) को मॉनीटर करेगा और

उक्त विश्लेषण परिणामों का अभिलेख रखा जाएगा तथा विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

# 2. अपशिष्ट ऑटोक्लेविंग हेतु मान्क.-

ऑटोक्लेव जीव चिकित्सा अपशिष्ट को रोगाणुमुक्त और उपचारित करने के प्रयोजनार्थ ही उपयोग में लाया जाना चाहिए ।

- (1) गुरूत्व प्रवाह ऑटोक्लेव को प्रचालित करते समय, चिकित्सीय अपशिष्ट निम्नलिखित के अधीन होगा :
  - (i) कम से कम 60 मिनट के किसी ऑटोक्लेव रेजिडेन्स समय हेतु कम से कम 121° सी का तापमान और 15 पाउन्ड्स प्रति वर्ग इंच (पीएसआई) का दबाव; या
  - (ii) कम से कम 45 मिनट के किसी ऑटोक्लेव रेजिडेन्स समय हेतु कम से कम 135° सी का तापमान और 31 पाउन्ड्स प्रति वर्ग इंच (पीएसआई) का दबाव; या
  - (iii) कम से कम 30 मिनट के किसी ऑटोक्लेव रेजिडेन्स समय हेतु कम से कम 149° सी का तापमान और 52 पाउन्ड्स प्रति वर्ग इंच (पीएसआई) का दबाव; या
- (2) किसी वेक्दुम ऑटोक्लेव को प्रचालित करते समय चिकित्सीय अपशिष्ट ऑटोक्लेव से संपूर्ण वायु को निष्कासित करने के लिए न्यूनतम एक वैक्यूम-पूर्व पल्स के अध्यधीन होगा । अपशिष्ट निम्नलिखित के अधीन होगा :
  - (i) कम से कम 45 मिनट के किसी ऑटोक्लेव रेजिडेन्स समय हेतु कम से कम 121° सी का तापमान और 15 पाउन्ड्स प्रति वर्ग इंच (पीएसआई) का दबाव; या
  - (ii) कम से कम 30 मिनट के किसी ऑटोक्लेव रेजिडेन्स समय हेतु कम से कम 135° सी का तापमान और 31 पाउन्ड्स प्रति वर्ग इंच (पीएसआई) का दबाव; या
- (3) चिकित्सा अपशिष्ट को तब तक समुचित रूप से उपचारित नहीं मान लेना चाहिए जब तक कि समय, तापमान और दबाव सूचक यह न दर्शाए कि ऑटोक्लेव प्रक्रिया के दौरान अपेक्षित समय, तापमान और दबाव की प्राप्ति की गई। यदि किसी भी कारण से, समय, तापमान या दबाव सूचक यह दर्शाता है कि अपेक्षित तापमान, दबाव या रेजिंडेन्स समय की प्राप्ति नहीं हुई थी तो चिकित्सीय अपशिष्ट का संपूर्ण भार पुनः ऑटोक्लेव किया जाना चाहिए जब तक कि उचित तापमान, दबाव और रेजिंडेन्स समय की प्राप्ति न हो जाए।
- (4) प्रचालन पैरामीटरों की रिकॉर्डिंग:

प्रत्येक ऑटोक्लेव में ग्राफिक या कंप्यूटर रिकॉर्डिंग यंत्र होंगे जो ऑटोक्लेव चक्र की संपूर्ण अविध में तिथियां, दिन में समय, भार पहचान संख्या और प्रचालन पैरामीटरों को स्वतः और लगातार मॉनीटर तथा रिकॉर्ड करेगा।

(5) वैधता जांच

### जीवाणु जांच :

ऑटोक्लेव को प्रत्येक ऑटोक्लेव इकाई की अधिकतम डिजाइन क्षमता पर अनुमोदित जैविक सूचक को पूर्णतः और लगातार मार देना चाहिए । ऑटोक्लेव के लिए कम से कम 1X10<sup>4</sup> जीवाणु प्रति मिलि लीटर सहित वायल्स या जीवाणु स्ट्रिप्स का प्रयोग करते हुए बेसिल्लस स्टीएरोथर्मोफिलस स्पोर्स होगा। किसी में स्थिति में किसी ऑटोक्लेव के न्यूनतम प्रचालन पैरामीटर 30 मिनट के रेजिडेन्स समय, चाहे कितना भी तापमान और दबाव हो, 121° सी तापमान या 15 पीएसआई से दबाव से कम

नहीं होंगे । समान जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा का अधिभोगी या प्रचालक तीन माह से कम से कम एक बार यह जांच करेगा और इससे संबंधित रिकार्ड रखा जाएगा ।

## (6) नेमी जांच

किसी विशिष्ट तापमान की प्राप्ति का सत्यापन करने के लिए उस रसायन सूचक स्ट्रिप या टेप का प्रयोग किया जा सकता है जिसकी रंग एक कितपय तापमान पर पहुंचने पर परिवर्तित हो जाता है। यह आवश्यक होगा कि भिन्न-भिन्न स्थानों पर अपिशष्ट पैकेज के ऊपर एक से अधिक स्ट्रिप का उपयोग किया जाए तािक यह सुनिश्चित हो सके कि पैकेज की आंतरिक सामग्री को पर्याप्त रूप से ऑटोक्लेव कर दिया गया है। समान जीव चिकित्सा अपिशष्ट उपचार सुविधा का अधिभोगी या प्रचालक प्रत्येक बैच की ऑटोक्लेविंग के दौरान यह जांच करेगा और इससे संबंधित रिकार्ड रखा जाएगा।

### 3. द्रव अपशिष्ट के लिए मानक.-

किसी साझा जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा के अधिभोगी या प्रचालक के भवन से सृजित या उपचारित, बहिस्राव छोड़े जाने से पहले निम्नलिखित सीमाओं के अनुरूप होना चाहिए ।

पैरामीटर अनुमेय सीमाएं

पी<sup>एव</sup> 6.5-9.0

लंबित ठोस 100 एमजी/एल

तेल और ग्रीस 10एमजी/एल

बीओडी 30 एमजी/एल

सीओडी 250 एमजी/एल

बायो-ऐसे जांच 100% बहिस्राव में 96 घंटों के बाद मछली का 90% अनुजीवन

# 4. माइक्रोवेविंग के मानक.-

(1) माइक्रोवेव उपचार साइटोटोक्सिक, परिसंकटमय या रेडियोधर्मी अपशिष्टों, संक्रमित पशु कंकालों, शरीर के अंगों और धातु की बड़ी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाएगा ।

(2) माइक्रोवेव प्रणाली प्रभावकारिता जांच या नेमी जांचों के अनुरूप होगी और सीमा के प्रचालन से पहले आपूर्तिकर्ता द्वारा एक निष्पादन गारंटी प्रदान की जा संकती है ।

(3) माइक्रोवेव को प्रत्येक माइक्रोवेव ईचाई की अधिकतम डिजाइन क्षमता पर अनुमोदित जैविक सूचक द्वारा सुनिश्चित किए गए कीटाणु और अन्य रोगाणु उत्पन्न करने वाले जैविकों को पूर्णतः और लगातार मार देना चाहिए। माइक्रोवेव के लिए कम से कम 1X101 जीवाणु प्रति मिलि लीटर सहित वायल्स या जीवाणु स्ट्रिप्स का प्रयोग करते हुए बेसिल्लस स्टीएरोथर्मोफिलस स्पार्स होगा।

## गहराई में दबाने हेतु मानक.-

- (1) लगभग 2 मीटर गहरा गड्ढा या खाई खोदी जानी चाहिए । इसे अपशिष्ट से आधा भर देना चाहिए और बाकी गड्ढे को मिट्टी से भरने से पहले सतर पर 50 सेमी. के भीतर चूने से भर देना चाहिए ।
- (2) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दबाने वाले स्थल तक जानवरों की कोई पहुंच न हो । जस्तेदार लोहे या तारों के जाल के कवर का उपयोग किया जा सकता है ।

- (3) प्रत्येक बार जब गड्ढे में अपशिष्ट डाला जाता है तो अपशिष्टों को ढकने के लिए मिट्टी की 10 सेमी. परत डाली जाएगी ।
- (4) दबाने का कार्य बारिकी से और विशेषीकृत पर्यवेक्षण में किया जाना चाहिए।
- (5) गहराई से दबाने का स्थल तुलनात्मक दृष्टि से दुर्गम होना चाहिए और स्थल के परत कोई कम गहरा कुंआ नहीं होना चाहिए।
- (6) गड्ढों को पर्यावास से दूर रहना चाहिए और ऐसी जगह स्थित करना चाहिए जहां यह सुनिश्चित हो सके कि सतही जल या भूमिगत जल पर कोई संक्रमण न हो ।
- (7) गहराई से दबाने का स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत होगा ।
- (8) संस्था गहराई से दबाने के लिए उपयोग में लाए जा रहे सभी गड्ढों का रिकार्ड रखेगा।
- (9) भूमिगत जल सारणी का स्तर गहराई से दबाने वाले गड्ढे के न्यूनतम स्तर से छह मीटर नीचे होगा।

### अनुसूची 6 (नियम 6 देखें)

### प्राधिकरणों और तत्स्थानी कर्त्तव्यों की सूची

क्र. सं.	प्राधिकरण		तदनुरूपी कर्त्तव्य
1.	पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत	(i)	नियमों की अधिसूचना तथा यथा आवश्यकता इन
11.	सरकार		नियमों में संशोधनों सहित देश में जीव चिकित्सा
			अपशिष्ट प्रबंध संबंधी नीतियां ।
		(ii)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण
		` ′ ·	समितियों हेतु जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन
			संबंधी कार्यकेलापों पर प्रशिक्षण और जागरूकता
			कार्यक्रमों हेतु वित्तीय सहायता ।
		(iii)	समान जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और व्ययन
		` ′	सुविधाओं हेतु वित्तीय सहायता ।
2.	केन्द्रीय या राज्य स्वास्थ्य और	(i)	विहित प्राधिकारी से प्राधिकार की प्राप्ति के
	परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय	\ ``	अध्यधीन स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं या नर्सिंग
	या राज्य पशु चिकित्सा और		होम या पशु चिकित्सा प्रतिष्ठानों हेतु लाइसेंस की
	पशुपालन मंत्रालय		मंजूरी ।
		(ii)	प्राधिकार की शर्तों या इन नियमों के अधीन
	, in the second		उपबंधों के उल्लंघन हेतु स्वास्थ्य देख-रेख
			सुविधाओं या नर्सिंग होम या पशु चिकित्सा
			प्रतिष्ठानों हेतु लाइसेंस की अस्वीकृति या रद्द
		ļ.	करना ।
		(iii)	जीव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पादन, उपचार और
		` ′	व्ययन से संबंधित स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं के
			राष्ट्रीय इनवेंटरी का प्रकाशन ।
-		(iv)	जीव चिकित्सा अपशिष्ट के कारण पर्यावरण और
<u> </u>	<b>].</b>	` '	न्दारध्य के समक्ष जोखिमों के संदर्भ में मूल्यांकन।

<del></del>				
			(v)	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्वच्छ
		·		प्रौद्योगिकियों की समग्र समीक्षा तथा संवर्धन हेतु
	İ	·		राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर सलाहकार समितियों
				ਗ गठन ।
		•	(vi)	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित
		·	( ( ( )	कार्यकलापों पर विनियामक प्राधिकारियों हेतु
				प्रशिक्षणों का आयोजन या प्रायोजन करना ।
			(2::5)	
	:	, '	(vii)	
		·		का प्रायोजन करना । सशस्त्र सेना स्वास्थ्य देख-रेख प्रतिष्ठानों या साझा
	3.	रक्षा मंत्रालय	(i)	सशस्त्र सना स्वास्थ्य दख-२ख प्रातकाना जा राजा
	-			जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और व्ययन
				सुविधाओं को प्राधिकार की मंजूरी और नवीकरण
				(नियम 8) ।
			(ii)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण
}		-		समितियों या केन्दीय प्रदुषण नियंत्रण बॉर्ड या
			1	पर्यावरण और वन मंत्रालय के सहयोग से सशस्त्र
				सेना स्तास्थ्य देख-रेख प्रतिष्ठानों या उपचार
				सविधाओं में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों के प्रबंधन
				का कार्य देखने वाले प्राधिकारियों हेतु प्रश्रिक्षण
				पाठ्यक्रमों का आयोजन ।
			/:::\	सशस्त्र सेना स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं में
			(iii)	इसकी सलाहकार समितियों के माध्यम से जीव
				इसका सलाहकार सामातवा के माठ्यन से जाय चिकित्सा अपशिष्ट उत्पादन के प्रबंधन की समीक्षा
				(नियम 9) ।
			(iv)	सशस्त्र सेना स्वास्थ्य देख-रेख प्रतिष्ठानों से जैव
				चिकित्सीय अपशिष्ट उत्पादन पर इनवैंटरी का
				प्रकाशन और विहित समयावधि में केन्द्रीय प्रदूषण
				नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना
				(नियम 10) ।
-		केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	(i)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण
.	4.	कन्द्राय प्रयूपण निष्यण वाठ		समितियों के कार्यकलापों का समन्वयन ।
. 1			(ii)	ञ्जीव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन का कार्य
10			(4)	देखने वाले प्राधिकारियों हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों
				का आयोजन ।
.			7:::>	~ ~ ~ ~ ~ <del>~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ </del>
			(iii)	हेतु नई प्रौद्योगिकियों का अनुमोदन (नियम 5)
			, , ,	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
			(iv	) जाव चिकित्सा अपाशिष्ट के उपचार तथा व्यवन
				हेतु विनिर्देशनों का निर्धारण (नियम 5) ।
			(v)	साझा जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और व्ययन
				सुविधाओं का या दृच्छिक निरीक्षण या निगरानी ।
			(vi	
7.5				प्रतिवेदन सूचना प्रस्तुत करना ।
. 4				

			(vii)	महानिदेशक, सशस्त्र सेना स्वास्थ्य देख-रेख सेवा
			(,	द्वारा प्रचालित स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं का
				निरीक्षण और निगरानी ।
			(viii)	जीव चिकित्सा अपशिष्ट से संबंधित अनुसंधान या
				प्रचालनात्मक अनुसंधान करना या इसमें सहयोग
			'	करना।
	<b>5.</b> .	राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र	(i)	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सरकारी
		सरेकार या प्रशासन		स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं को पर्याप्त निधियों
				का आबंटन ।
			(ii)	सरकारी स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं में जीव
İ		·		चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपचार उपस्करों
			/	का प्रापण और आबंटन ।
1			(iii)	इन नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य
				प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों को सलाह देना ।
			(iv)	सलाहकार समिति की सिफारिशों का
			('')	कार्यान्वयन।
$\dagger$	6.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या	(i)	स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं और जीव चिकित्सा
		प्रदूषण नियंत्रण समितियां	(.)	उत्पादन की इनवेंटरी बनाना तथा विहित
				समयाविध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का
				वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।
			(ii)	इन नियमों के अधीन प्राधिकार की मंजूरी तथा
				नवीकरण या अस्वीकृति, रद्दकरण या निलंबन
		•		(नियम 7, 8 और 10)।
			(iii)	प्राधिकार के विभिन्न उपबंधों और शर्तों के
		·		अनुपालन की मॉनीटरिंग ।
			(iv)	इन् नियमों के उल्लंघन के लिए स्वास्थ्य देख-रेख
				सुविधाओं या साझा जीव चिकित्सा अपशिष्ट
ŀ				उपचार और व्ययन सुविधाओं के विरूद्ध कार्रवाई।
			(v)	स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं या साझा जीव
				चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और व्ययन सुविधाओं
				और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण
				नियंत्रण समितियों के स्टाफ हेतु जीव चिकित्सा अपशिष्टों के पृथक्करण, एकत्रण, भंडारण,
1				परिवहन, उपचार और व्ययन पर प्रशिक्षण
				कार्यक्रमों का आयोजन ।
				जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी अनुसंधान
			\ <del>'</del> 7	या प्रचालनात्मक अनुसंधान करना या उसमें
				सहायता करना ।
				इन नियमों के अधीन पर्यावरण और वन मंत्रालय
				और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-
				समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य ।

		(viii)	सलाहकार समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन।
7.	स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत, नगरपालिकाएं या नगर निगम	(i)	अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में जीव चिकित्सा अपशिष्ट के सुरक्षित उपचार तथा व्ययन हेतु साझा जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और व्ययन सुविधा के विकास हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराना या आवेटित करना । इन नियमों के अधीन अनुबंधित निर्धारित कोई अन्य कार्य ।

### प्ररूप I (नियम 9 और 10 देखें)

# प्राधिकार या प्राधिकार या नवीकरण हेतु आवेदन

(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में,

विहित प्राधिकरण (राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का नाम) पता

- 1. आवेदक की विशिष्टियां
  - (i) आवेदक का नाम

(पूरा नाम बड़े अक्षरों में)

- (ii) संस्था का नाम
- (iii) पता :
- (iv) दूरभाष सं., फैक्स सं., टेलेक्स सं.
- (v) ई-मेल
- 2. क्रियाकलाप जिसके लिए प्राधिकार मांगा जा रहा है :
  - (i) जनन
  - (ii) संग्रहण
  - (iii) ग्रहण
  - (iv) भंडारण
  - (v) परिवहन
  - (vi) उपचार
  - (vii) व्ययन
  - (viii) हथालन का कोई अन्य स्वरूप

3. कृपया बताएं कि क्या आवेदन नए सिरे से प्राधिकार हेतु या नवीकरण के लिए किया जा रहा है: (यदि नवीकरण हेतु हो तो पिछली प्राधिकार संख्या और तारींख)

- 4. (i) जीव चिकित्सा अपशिष्ट का हथालन करने वाली संस्था का पता :
  - (ii) उपचार सुविधा के स्थान का पता :
  - (iii) अपशिष्ट के व्ययन स्थल का पताः
- 5. (i) जीव चिकित्सा अपशिष्ट के परिवहन (यदि कोई हो) की पद्धति :
  - (ii) उपचार की पद्धति (पद्धतियां):
- 6. उपचार और व्ययन की पद्धति का संक्षिप्त विवरण (ब्यौर संलग्न करें) :
- 7. (i) हथालन किए जाने वाले अपशिष्ट की प्रवर्ग (अनुसूची-। देखें)
  - (ii) प्रति मास हथालन किए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा (श्रेणी-वार)
- ८. घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विवरण और सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और मैंने कोई सूचना नहीं छुपाई है।

मैं यह भी वचन देता हूं कि इन नियमों के संबंध में विहित प्राधिकारी द्वारा मांगी जाने वाली और जानकारी दूंगा और विहित प्राधिकारी द्वारा अनुबद्ध किसी भी शर्त को पूरा करूंगा।

तारीख: आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान : आवेदक का पदनाम

# प्ररूप 2 (नियम 12 देखें) वार्षिक रिपोर्ट

(स्वास्थ्य देख-रेख सुविधा या स्वास्थ्य देख-रेख प्रतिष्ठान अर्थात अधिभोगी द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष की जनवरी से दिसम्बर तक की अविध के लिए प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने के लिए)

		<u> </u>
क्र.सं.	विशिष्टिया	
1.	अधिभोगी की विशिष्टियां	
	(i) प्राधिकृत व्यक्ति (अधिभोगी का	
11.	नाम)	
	(ii) संस्था का नाम	: 4
	(iii) पता	
	(iv) दूरभाष सं., फैक्स सं.	
	(v) ई-मेल आईडी	
	(vi) स्वास्थ्य देख-रेख सुविधा का	: (राज्य सरकार या प्राइवेट या अर्द्ध-सरकारी या
	स्वामित्व /	अन्य कोई)
	(vii) जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन	
	और हथालन) नियम के अधीन प्राधिकार	
	की प्रस्थिति	से विधिमान्य
		तक विधिमान्य
	(viii) जल अधिनियम और वायु	:तक विधिमान्य
	अधिनियम के अधीन अनुमतियों की	
	स्थिति	
2.	स्वास्थ्य देख-रेख सुविधा का प्रकार	
	(i) बिस्तरों व्राला अस्पताल ्	: बिस्तरों की संख्या
	(ii) बिस्तु रहित अस्पताल	ः क्लीनिक/रक्त बैंक या प्रयोगशाला या पशु
		चिकित्सा अस्पताल या अन्य कोई
3.	सृजि हुए जीव चिकित्सा अपशिष्ट के	
	प्रवर्ग (कृपया जीव चिकित्सा अपशिष्ट	
	(प्रबंधन और हथालन) नियमों के	
	अनुसार प्रवर्ग का उत्लेख करें)	
4.	सृजित अपशिष्ट की कि.ग्रा. या टन	
	प्रतिवर्ष मात्रा (मासिक औसत आधार	
	पर)	
5.	अतिरिक्त ब्यौरे :	
	(i) स्थल पर भंडारण सुविधा का :	आकार:
	संक्षिप्त विवरण	क्षमता :
		स्थल पर भंडारण के उपबंध : (शीत ग्रह या अन्य कोई
		उपबंध)
	1	( 1 8)
	(ii) स्थल पर उपचार सुविधाओं :	भरमक (हां/नहीं)
	1 1 2 1	भस्मक (हा/नहीं) ऑटोक्लेविंग (हां/नहीं)
	का संक्षिप्त विवरण	

-	<del></del>		
	1		श्रेडिंग (हां/नहीं)
i t			सुई नष्ट करने वाला और काटने वाला ं (हां/नहीं)
			सुई नष्ट करने वाला :सं.
			सुई काटने वाला :सं.
			द्रव अपशिष्ट बहिस्राव उपचार संयंत्र (हां/नहीं)
	(iii) स्थल पर उपचार सुविधा की	:	भस्मक :
	स्थापित करना		ऑटोक्लेविंग :िक.ग्रा./घंटा
ì			माइक्रोवेविंग :िक.ग्रा./घंटा
			श्रेडिंग :िक.ग्रा./घंटा
			द्रव अपशिष्ट बहिस्राव उपचार संयंत्र :
			कि.ली. में
	(iv) स्थल पर अपशिष्ट उपचार	:	भस्मक :
	सुविधा पर उपचारित अपशिष्ट		ऑटोक्लेविंग :
	की वास्तविक मात्रा कि.ग्रा. या		माइक्रोवेविंग :
	टन प्रति वर्ष में (मासिक औसत		श्रेडिंग :
	आधार पर)		द्रव अपशिष्ट बहिस्राव उपचार संयंत्र :
-			कि.ली. में
	(v) उपचार के बाद	<del> </del>	लाल प्रवर्ग (जैसे प्लास्टिक, कांच इत्यादि)
-	पुनर्चक्रणकर्ताओं को बेचे गए	-	िलाल प्रवेच (जरा स्थारिक), काव इरवाब)
	पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्टों की		·
	वास्तविक मात्रा कि.ग्रा. या टन		
	प्रति वर्ष में (मासिक औसत		
	आधार पर)		
	(vi) साझा सुविधा प्रचालक के	: -	पीला प्रवर्ग :
	माध्यम से व्ययन किए गए		लाल प्रवर्ग :
	अपशिष्टों की वास्तविक मात्रा		नीला प्रवर्ग :
	कि.ग्रा. या टन प्रतिवर्ष में		
	(मासिक औसत आधार पर)		
	(क) साझा जीव चिकित्सा	:	
·	अपशिष्ट उपचार सुविधा प्रचालक		
	का नाम जिसके माध्यम से		
	अपशिष्टों का व्ययन किया गया		
	(ख) उपचार सुविधा का नाम		
	और पता, दूरभाष, फैक्स और		
	ई-मेल आईडी सहित		
	(vii) साझा उपचार सुविधा तक	:	
	अपशिष्टों के परिवहन का		
	माध्यम्		

6.	अन्य कोई सुसंगत सूचना	(कृपया द्रव बहिसाव उपचार संयंत्र, भस्मक के साथ लगे वायु प्रदूषण नियंत्रण यंत्रों का योजनावत चित्र संलग्न करें)
7.	प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त रिप	गोर्ट से तक की अवधि के लिए है
:	***************************************	

संस्था के प्रमुख का नाम और हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान :

## प्ररूप-2 क (नियम 12 देखें) वार्षिक रिपोर्ट

(समान जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और व्ययन सुविधा के प्रचालक द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष की जनवरी से दिसम्बर तक की अविध के लिए प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए)

क्र.सं.	विशिष्टियां		
1.	सुविधा के प्रचालक को विशिष्टियां	:	
	(i) प्राधिकृत व्यक्ति का नाम (सुविधा का	:	
1	प्रचालक)	-	
	(ii) समान जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और	:	
	व्ययन सुविधा का नाम		
	(iii) सुविधा का पता	:	
	(iv) दूरभाष सं., फैक्स सं.	:	
	(v) ई-मेल आईडी	:	
	(vi) समान जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और	:	(राज्य सरकार या प्राइवेट या अर्द्ध
	व्ययन सुविधा का स्वामित्व		सरकारी या अन्य कोई)
	(vii) जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और	:	प्राधिकार सं. :
	हथालन) नियमों के अधीन प्राधिकार		
	·		से विधिमान्य
			तक विधिमान्य
	(viii) जल अधिनियम और वायु अधिनियम के	:	
	अधीन सहमतियों की स्थिति		विधिमान्य

r .			
2.	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रवर्ग	:	·
	(i) सदस्य स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं या स्वास्थ्य		
	देखरेख प्रतिष्ठानों से प्राप्त अपशिष्ट श्रेणियां		
	(कृपया जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और		
	हथालन) नियमों के अनुसार प्रवर्ग संख्या उपदर्शित	İ	
	करें)	ļ ·	
<del></del>	(ii) सृजित अपशिष्ट श्रेणियां (कृपया जीव	1:	
	चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियमों		
	के अनुसार प्रवर्ग संख्या उपदर्शित करें)		
3.	प्राप्त अपशिष्ट की कि.ग्रा. या टन प्रतिवर्ष में मात्रा	<del>                                     </del>	पीला प्रवर्ग :
		:	लाल प्रवर्ग :
	4.	:	नीला प्रवर्ग :
4.	जीव चिकित्सा अपशिष्ट एकत्र करने और परिवहन		
т.	हेतु प्रयुक्त यानों की संख्या	'	
5.	अतिरिक्त ब्यौरे :	<u> </u>	
J.			
	(i) समान उपचार सुविधा में उपचार इकाइयों के	:	अपशिष्ट भंडारण कमरा (हां/नहीं)
	संक्षिप्त ब्यौरे		भस्मक (हा/नहीं)
			ऑटोक्लेविंग (हां/नहीं)
			माइक्रोवेविंग (हां/नहीं)
			थ्रेडिंग (हां/नहीं)
		-	द्रव अपशिष्ट बहिस्राव उपचार संयंत्र (हां/नहीं)
			वाहन धुलाई सुविधा (हां/नहीं)
			डीजी सैंट प्रावधान (हां/नहीं)
	(ii) जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और व्ययन	:	भंडारण और भंडारण के उपबंध :
	सुविधा की उपचार इकाइयों की स्थापित क्षमता	ļ	भस्मक : कि.ग्रा./घंटा
		İ	ऑटोक्लेविंग :िक.ग्रा./बैच
		.	माइक्रोवेविंग :
		ŀ	श्रेडिंग :
;	· •		द्रव अपशिष्ट हेतु ईटीपी :
			कि.ली. में
	(iii) उपचारित जीव चिकित्सा अपशिष्ट की	.	पीला प्रवर्ग :
	कि.ग्रा. या टन प्रतिवर्ष में प्रवर्ग वार मात्रा (मासिक	.	लाल प्रवर्ग :
	औसत आधार पर)		नीला प्रवर्ग :
		.	
	(iv) उपचार के बाद पुनर्चक्रणकर्ताओं के बेचे गए	.	लाल प्रवर्ग : (मदवार विवरण और यात्रा दर्शाएं)
•	पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्टों की कि.ग्रा. या टन		•
	प्रतिवर्ष में वास्तविक मात्रा (मासिक औसत आधार		
	. पर)	-	
	-	İ	

	(v) अपशिष्टों के उपचार के दौरान सुजित	:	भस्मक राख :
	अपशिष्ट की कि.ग्रा. या टन प्रतिवर्ष में मात्रा		बहिस्राव उपचार संयंत्र गाद :
	(मासिक औसत आधार पर)		
	(vi) सुरक्षित भूभराव में निपटाए गए अपशिष्टों की	:	भस्मक रार्ख :
	कि.ग्रा. या टेन प्रतिवर्ष में वास्तविक मात्रा		बहिस्राव उपचार संयंत्र गाद :
	(मासिक औसत आधार पर)		
	(क) सुरक्षित भूमराव का नाम और स्थान जहां	[:	
	व्ययन योग्य अपिशष्ट का व्ययन किया जाता है	`	
	(vii) अधिभोगी से साझा उपचार सुविधा तक जीव	:	
	चिकित्सा अपशिष्टों के परिवहन का माध्यम		
6.	अन्य कोई सुसंगत सूचना	[ ;	(कृपया जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और
			व्ययन सुविधा का विभिन्न इकाइयां दर्शाते हुए
			मानचित्र, द्रव अपशिष्ट बहिस्राव उपचार संयंत्र
			का प्रवाह चित्र, वायु प्रदूषण नियंत्रण यंत्रों
	•		सहित भस्मक का योजनावत चित्र संलग्न करें)
7.	प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त रिपोर्ट		से तक की अवधि के लिए है
			<del> </del>
Ì			••••
L	<u> </u>		

संस्था के प्रमुख का नाम और हस्ताक्षर

तारीख : स्थान :

प्ररूप-3 (नियम 14 देखें) दुर्घटना की रिपोर्ट

- 1. दुर्घटना की तारीख तथा समय:
- 2. दुर्घटना होने का घटनाक्रम:
- दुर्घटना में अन्तर्विलित अपशिष्ट :
- 4. मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर दुर्घटना के प्रभावों का निर्धारण :
- 5. किए गए आपात उपाय:
- दुर्घटना के प्रभावों का उपशमन करने हेतु उठाए गए कदम :

1.

7. ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उठाए गए कदम :

तारीख	हस्ताक्षर
स्थान	पदनाम

### प्ररूप-4 (नियम 10 देखें)

(जीव चिकित्सा अपशिष्टों के संग्रहण, ग्रहण, उपचार, भंडारण, परिवहन और व्ययन हेतु सुविधा के प्रचालन के लिए प्राधिकार)

प्राधिकार की फाइल संख्या और जारी करने की तारीख .....

	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						•	
2.	***********	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	के	***********			को	अवस्थित
परिसर	में जीव चिकित्सा	अपशिष्ट के संग्र	हण, ग्रहण	ग, उपचार,	भंडारण,	परिवहन और	व्ययन हेत् ए	क सुविधा

परिसर में जीव चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रहण, ग्रहण, उपचार, भंडारण, परिवहन और व्ययन हेतु एक सुविधा संचालित करने का प्राधिकार स्वीकृत किया जाता है ।

3. यह प्राधिकार जारी होने की तारीख से ...... वर्षों की अवधि के लिए लागू होगा ।

4. यह प्राधिकार वर्णित शर्तों और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए होगा जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन प्रवृत नियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं।

तारीख	हस्ताक्षर
	पदनाम

### प्राधिकार के निबंधन और शर्ते\*

- 1. यह प्राधिकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुपालन में होगा ।
- 2. यह प्राधिकार या इसका नवीकरण, विहित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के अनुरोध पर निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाएगा ।
- 3. विहित प्राधिकारी की पूर्वानुमित प्राप्त किए बिना प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्टों को किराए पर नहीं दिया जाएगा, उधार नहीं दिया जाएगा; विक्रय नहीं किया जाएगा या अन्यथा परिवहन नहीं किया जाएगा ।

- प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन में यथा उल्लिखित कार्मिक, उपकरण या कार्य स्थितियों में किसी भी अनिधकृत परिवर्तन किए जाने से उसका प्राधिकार भंग हो जाएगा ।
- 5. प्राधिकृत व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह सुविधा को बंद करने के लिए विहित प्राधिकारी की पूर्वानुमित प्राप्त करे ।

### प्ररूप-5 (नियम 15 देखें)

विहित प्राधिकारी या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय प्राधिकारी के रूप में कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जिला या क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर विहित प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध अपील फायल करने के लिए आवेदन

- 1. अपील हेतु आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम और पता :
- 2. आदेश की संख्या, तारीख और आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी का पता जिसके विरूद्ध अंपील की गई है (आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
- 3. अपील किए जाने का आधार
- 4. पैरा 2 में निर्दिष्ट ऐसे आदेश से भिन्न, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, संलग्नकों की सूची। तारीख:

हस्ताक्षर	
नाम और पता	

<sup>\*</sup> विहित प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त निबंधन और शर्ते लगाई जा सकेंगी ।

# प्ररूप-6 (नियम 5(3) देखें)

वर्ष	. के मास .		वं	जे		तारीकों	हेत र्ज	ोव चिर्व	केत्या	थपशिष्टों
क न सौपने वाल	र्गा स्वास्थ्य	देख-रेख	सुविधा य	ा स्वास्थ्य	देख-रेख	प्रतिष्ठा	र पुर न पुर	समान	जीव	चिकित्स <u>ा</u>
अपशिष्ट उपचार 3	गैर व्ययन र	सुविधा के	प्रचालक की	रिपोर्ट						7 -11 45 ( (1)

(समान जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा के प्रचालक द्वारा तत्काल विहित प्राधिकारी को सूचित किया जाए तथा प्रत्येक मास के पहले सप्ताह तक पिछले मास की विधि प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाए)

	1666					
क्र.सं.	विशिष्टियां					
1.	सुविधा के प्रचालक की विशिष्टियां	1:		· "·		
1	(i) प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	1:			<del>.</del>	
	(अधिभोगी/प्रचालक)			•	7	No. of
	(ii) समान जीव चिकित्सा अपशिष्ट	1		<del></del>	<u> </u>	
	उपचार और व्ययन सुविधा					
	(iii) पता				<u>-</u> <u>-</u>	
	(iv) दूरभाष सं., फैक्स सं.	<b>:</b>			<u></u>	
	(V) ई-मेल आईडी	:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
2.	स्वास्थ्य देख-रेख सुविधा या स्वास्थ्य		सरकारी	प्रा	इवेट	अर्द्ध सरकारी
	देख-रेख प्रतिष्ठान की ली गई सदस्यता				·	
	की संख्या			<del>-  </del>		
		•				
3.	सदस्य स्वास्थ्य देख-रेख सुविधा	:	<u> </u>		l	
	(एचसीएफ) या स्वास्थ्य देख-रेख					2.21.70 1 1
	प्रतिष्ठान (एचसीई) से एक दिन/मास में		एचसीएफ	सरकारी	प्राइवेट	अर्द्ध
	उत्पन्न जीव चिकित्सा अपशिष्ट की कुल		या	कि.ग्रा.	कि.ग्रा.	सरकारी
	औसत मात्रा (राज्य प्रदूषण नियंत्रण		एचसीई	में	में	कि.ग्रा.
	बोर्डौ/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा		का प्रकार	·	'	मे
	जारी प्राधिकार पर आधारित)		या जीव			
			चिकित्सा			
			अपशिष्ट			
	· .		के प्रवर्ग			
			पीला			
			लाल	<u> </u>	· ·	
			नीला			
4.	प्रति मास कि.ग्रा. या टन में इस अवधि	;	पीला प्रवर्ग :	,	<u> </u>	<u> </u>
	के लिए मास के दौरान प्राप्त जैव	:	लाल प्रवर्ग :			
	चिकित्सीय अपशिष्ट	:	नीला प्रवर्ग :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
					<del></del>	

5	वर्ष के मास	•	 	 
٥.		•		
	के लिए जीव चिकित्सा अपशिष्ट न			
	भेजने वाली सदस्य स्वास्थ्य देख-रेख			
	सुविधा (एचसीएफ) या स्वास्थ्य देख-			
	रेख प्रतिष्ठान (एचसीई) की सूची	<b>L</b>		

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त रिपोर्ट इस समान जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और व्ययन सुविधा के पास उपलब्ध अभिलेख पर आधारित है ।

तारीख:

स्थान:

संस्था के प्रमुख का नाम और हस्ताक्षर

\*\*\*\*\*

[फा. सं. 3-1/2000-एचएसएमडी] राजीव गौबा, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th August, 2011

**S.O. 1955(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998, *vide*, S.O. 630 (E), dated the 20<sup>th</sup> July, 1998 as amended from time to time provided a regulatory frame work for management of bio-medical waste generated in the country.

AND WHEREAS, the Central Government considers it necessary in the public interest and to address environmental and health concerns, to review the rules published earlier, to enable the prescribed authorities to implement the rules more effectively, thereby, reducing the biomedical waste generation and also for its proper treatment and disposal and to ensure environmentally sound management of these wastes.

#### DRAFT RULES

AND WHEREAS, the following draft of certain rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), and in supersession of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998, is hereby published for information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration by the Central Government after expiry of a period of sixty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette:

The objections or suggestions which may be received from any person and institution in respect of the said draft rules before the period specified will be taken into consideration by the Central Government:

Any person desirous of making any objection or suggestion with respect to the said draft rules may forward the same within the period so specified to the Joint Secretary (Hazardous Substances Management Division), Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhavan, Central Government Offices (CGO) Complex, Lodhi Road, New Delhi — 110003.

#### 1. Short title and commencement,-

- (1) These rules may be called the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 2011.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

#### 2. Application.-

- (1) These rules shall apply to all persons who generate, collect, receive, store, transport, treat, dispose, or handle bio-medical waste in any form and shall not apply to.-
  - (a) radioactive wastes as covered under the provisions of the Atomic Energy Act, 1962 and the rules made there under;
  - (b) hazardous chemicals covered under the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989 made under the Environment (Protection) Act, 1986, (hereinafter referred to as the Act);
  - (c) wastes covered under the Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 made under the Act;
  - (d) the lead acid batteries covered under the Batteries (Management and Handling) Rules, 2001 made under the Act; and
  - (e) hazardous wastes covered under the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008 made under the Act.
- 3. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires.-
- (1) "Act" means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);
- (2) "Animal House" means a place where animals are reared/kept for the purpose of experiments or testing;
- (3) "Authorisation" means permission granted by the prescribed authority for the generation, collection, reception, storage, transportation, treatment, disposal and/or any other form of handling of bio-medical waste in accordance with these rules and guidelines issued by the Central Pollution Control Board, Ministry of Environment and Forests, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.
- (4) "Authorised Person" means an occupier or operator authorised by the prescribed authority to generate, collect, receive, store, transport, treat, dispose and/or handle bio-medical waste in

accordance with these rules and any guidelines issued by the Central Pollution Control Board, Ministry of Environment and Forests, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India;

- (5) "Bio-medical waste" means any waste, which is generated during the diagnosis, treatment or immunisation of human beings or animals or in research activities pertaining thereto or in the production or testing of biologicals, including categories mentioned in Schedule I of these rules;
- (6) "Biologicals" means any preparation made from organisms or micro-organisms or product of metabolism and biochemical reactions intended for use in the diagnosis, immunisation or the treatment of human beings or animals or in research activities pertaining thereto;
- (7) "Bio-Medical Waste Treatment and Disposal Facility" means any facility wherein treatment, disposal of bio-medical waste or processes incidental to such treatment and or disposal is carried out and includes common treatment facilities;
- (8) "Occupier" means a person having administrative control over the institution and the premises generating bio-medical waste, which includes a hospital, nursing home, clinic, dispensary, veterinary institution, animal house, pathological laboratory, blood bank, health care facility and clinical establishment by whatever name it may be called;
- (9) "Operator of a common bio-medical waste treatment facility" means a person who owns or controls or operates a common facility for the collection, reception, storage, transport, treatment, disposal or any other form of handling of bio-medical waste;
- (10) "Schedule" means Schedule appended to these rules;
- (11) "Form" means Form appended to these rules;

#### 4. Duties of the Occupier.-

It shall be the duty of every Occupier:

- (1) To take all steps to ensure that bio medical waste is handled without any adverse effect to human health and the environment in accordance with these rules.
- (2) To provide training for all its health care workers and others involved in handling of bio medical waste.
- (3) To immunize all its health care workers and others involved in handling of bio-medical waste for protection against diseases that are likely to be transmitted by handling of bio-medical waste.

- (4) To ensure segregation of bio medical waste at the point of generation in accordance with these rules.
- (5) To ensure occupational safety of all its health care workers and others involved in handling of bio- medical waste by providing appropriate and adequate personal protective equipments.
- (6) To conduct health check up annually for all its health care workers and others involved in handling of bio- medical waste and maintain the records for the same.
- (7) To install necessary equipments and regular supply of materials required for proper in house handling of bio medical waste.
- (8) To maintain and update everyday the bio medical waste management register according to quantity, various categories and the final mode of disposal of bio-medical waste as specified in schedule-I.
- (9) To develop a system of reporting of unintended accidents like sharp injuries, mercury spills, fire hazards which are likely to occur during handling of bio-medical waste and the remedial action taken. Such records shall be maintained and reported in Form III to the prescribed authority along with the annual report and should indicate even the nil report.
- (10) To inform the prescribed authority immediately in case the Operator of a facility does not collect the bio medical waste within the intended time or as per the agreed schedule.
- (11) To establish a bio-medical waste management cell or unit in unit if the facility has more than 30 beds, in order to review and monitor the activities related to bio-medical waste management. Such unit or cell shall meet once in six months and the record of the minutes of such meetings shall be submitted along with the annual report to the prescribed authority.

### 5. Duties of the operator of a common bio-medical waste treatment facility.-

It shall be the duty of every Operator .-

- (1) To take all necessary steps to ensure that the bio-medical waste collected from the Occupier is transported, handled, stored, treated and disposed of without any adverse effect to the human health and the environment in accordance with these rules.
- (2) To ensure timely collection of bio-medical waste from the health care facility as prescribed under these rules.
- (3) To inform the prescribed authority immediately regarding the Health Care Establishments (HCEs) or Health Care Facilities (HCFs), which are not handing over the segregated biomedical waste in accordance with these rules as prescribed in Form-VI.
- (4) To provide training for all its workers involved in handling of bio medical waste.

- (5) To undertake appropriate pre-placement medical examination and also periodic medical examination and immunize all its workers involved in handling of bio-medical waste for protection against diseases that are likely to be transmitted while handling bio-medical waste and maintain the records for the same.
- (6) To ensure occupational safety of all its workers involved in handling of bio-medical waste by providing appropriate and adequate personal protective equipments.
- (7) To develop a system of reporting of unintended accidents like sharp injuries, mercury spills, fire hazards which are likely to occur during handling of bio-medical waste and the remedial action taken. Such records shall be maintained and reported in Form-III to the prescribed authority along with the annual report and also update even the nil reporting.
- (8) To maintain a log book for each of its treatment equipment according to weight of batch; categories of waste treated; time, date and duration of treatment cycle and total hours of operation

### 6. Responsibilities of authorities.-

The Authority specified in column 2 of the Schedule-VI shall perform the duties as specified in column 3 of the said Schedule as per the provisions of these Rules.

### 7. Treatment and disposal.-

- (1) Bio-medical waste shall be treated and disposed of in accordance with Schedule I, and in compliance with the standards prescribed in Schedule V.
- (2) Any person including an occupier or operator of a common bio medical waste treatment facility intends to promote new technologies for treatment of bio medical waste other than those listed in Schedule I shall approach the Central Government or the Central Pollution Control Board for prior approval of the suitability of the new technology and laying down the standards or operating parameters. On approval, the standards for new technology shall be notified by the Ministry of Environment and Forests and the Schedules I and V shall stand modified accordingly.
- (3) Every occupier shall either set up his own requisite biomedical waste treatment equipments like autoclave or microwave, shredder for treatment of bio-medical waste generated in his premises as a part of on-site treatment, prior to commencement of its operation or ensure requisite treatment of bio-medical waste through an authorised common bio medical waste treatment facility or any other authorised waste treatment facility:

Provided further the prescribed authority may authorize the occupier having five hundred or more bed capacity to install an incinerator, depending on the recipient environment and the location warranting such a course of action.

- (4) Every Operator of a common bio medical waste treatment facility shall set up requisite biomedical waste treatment equipments like incinerator, autoclave or microwave, shredder and effluent treatment plant as a part of treatment, prior to commencement of its operation.
- (5) Use of chlorinated plastic bags for handling of bio-medical waste shall be prohibited and the occupier or operator of a common bio-medical waste treatment facility shall not dispose of such plastics by incineration.
- (6) The occupier or operator of a common bio-medical waste treatment facility shall dispose of the recyclable bio-medical wastes such as plastics and glass through authorized recyclers having consents from the respective State Pollution Control Board or Pollution Control Committee of Union Territory after ensuring treatment by autoclaving or microwaving followed by mutilation/shredding, whichever is applicable. The occupier shall maintain a record of such recyclable wastes auctioned or sold and the same shall be submitted to the prescribed authority.
- (7) In the event of breakage of mercury containing medical instruments, necessary precautions shall be taken by the occupier to segregate such waste to the extent possible and also for its proper collection, storage and disposal as per the guideline issued by the Central Government and Central Pollution Control Board in order to avoid or minimize mercury releases into the environment. In case the mercury content in the bio-medical waste exceeds the limit specified under the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008, the same needs to be disposed of in accordance with these Rules.

### 8. Segregation, packaging, transportation and storage.-

- (1) Untreated Bio-medical waste shall not be mixed with other wastes.
- (2) Bio-medical waste shall be segregated into containers or bags at the point of generation in accordance with Schedule II prior to its storage, transportation, treatment and disposal.
- (3) The containers shall be labeled according to Schedule III.
- (4) The transporter shall transport the bio-medical waste from the premises of an occupier to any off-site bio-medical waste treatment facility only with the label as prescribed in Schedule III along with the necessary information prescribed in Schedule IV.
- (5) Notwithstanding anything contained in the Motor Vehicles Act, 1988, or rules made there under, untreated bio-medical waste shall be transported only in such vehicle as may be authorised for the purpose by the competent authority as specified by the Government.
- (6) No untreated bio-medical waste of categories 1, 2, 3 and 6 shall be kept stored beyond a period of forty eight hours:

Provided that in case for any reason it becomes necessary to store such waste beyond such a period, the authorised person shall take prior permission of the prescribed authority and take measures to ensure that the waste does not adversely affect human health and the environment.

(7) The Municipal body of the area shall continue to pickup and transport segregated non bio-medical solid waste generated in hospitals and nursing homes as well as duly treated bio-medical wastes for disposal at municipal dump site.

### 9. Prescribed authority.-

- (1) The prescribed authority for enforcement of the provisions of these Rules shall be the State Pollution Control Boards in respect of States and Pollution Control Committees in respect of Union Territories.
- (2) The prescribed authority for enforcement of the provisions of these Rules in respect of all health care establishments including hospitals, nursing homes, clinics, dispensaries, veterinary institutions, animal houses, pathological laboratories and blood banks of the Armed Forces under the Ministry of Defence shall be the Director General, Armed Forces Medical Services. The prescribed authority in this respect shall function under the supervision and control of the Ministry of Defence.
- (3) The prescribed authority shall function under the supervision and control of the respective Government of the State or Union Territory administration.
- (4) The prescribed authorities shall comply with the responsibilities as stipulated at serial number 6 of Schedule VI of these rules.

#### 10. Procedure for authorisation.-

- (1) Every occupier or operator of common bio-medical waste treatment facility involved in generating or collecting or receiving or storing or transporting or disposing and/or handling bio-medical waste, irrespective of the quantum of bio-medical waste generation shall make an application in Form I to the prescribed authority for grant of authorisation.
- (2) The prescribed authority shall on receipt of Form I make such enquiry as it deems fit and if it is satisfied that the applicant possesses the necessary capacity to handle bio-medical waste in accordance with these rules, may grant or renew an authorisation, as the case may be.
- (3) A provisional authorisation in Form IV shall be granted for trial run for a period of one year, to enable the occupier/operator of common bio medical waste treatment facility to demonstrate the adequacy of the waste management system. On satisfactory performance

during the trial period, the authorisation shall be renewed for a further period of five years and may also be renewed for a period of five years, if it is considered necessary.

- (4) The prescribed authority may after giving reasonable opportunity of being heard to the applicant and for the reasons thereof to be recorded in writing, refuse to grant or renew authorisation.
- (5) Every application for authorisation shall be disposed of by the prescribed authority within a period of ninety days from the date of receipt of duly completed application along with such necessary documents, failing which it shall be deemed that the authorisation is duly granted under these rules.
- (6) The prescribed authority may cancel or suspend an authorisation, if for reasons, to be recorded in writing, the occupier or operator has failed to comply with any provision of the Act or these rules:

Provided that no authorisation shall be cancelled or suspended without giving a reasonable opportunity to the occupier or operator of being heard.

(7) Every occupier or operator shall intimate the prescribed authority about any change or variation in the activity relating to bio medical waste generation, handling, treatment and disposal for which authorisation was earlier granted and shall submit a fresh application in Form-I for modification of the conditions of authorisation.

### 11. Advisory Committee.-

- (1) The Government of every State or Union Territory shall constitute an Advisory Committee under the Chairmanship of State health Secretary. The committee shall include representatives from the State departments of health, environment, urban development, animal husbandry and veterinary sciences, State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, local bodies or urban or municipal corporation, representatives from Indian Medical Association, common bio medical waste treatment facility and non-governmental organisation. The advisory committee shall meet once in six months and review all the matter related to implementation of Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules.
- (2) Notwithstanding anything contained in the above sub-rule (1), the Ministry of Defence shall constitute in that Ministry, an Advisory Committee consisting of the following, in respect of all health care facilities of the Armed Forces under the Ministry of Defence, to advise the Director General, Armed Forces Medical Services and the Ministry of Defence in matters relating to implementation of these rules, namely:-
- (i) Additional Director General of Armed Forces Medical Services

... Chairman

(ii) A representative of the Ministry of Defence (not below the rank of Deputy Secretary, to be nominated by that Ministry) ... Member

(iii) A representative of the Ministry of Environment and Forests (not below the rank of Deputy Secretary, to be nominated by that Ministry)

... Member

(iv) A representative of the Ministry of Health and Family Welfare (not below the rank of Deputy Secretary, to be nominated by that Ministry)

.. Member

(v) A representative of the Armed Forces Medical College/ Command Hospital (To be nominated by DGAFMS)

. Member

Ministry of Defense may co opt representatives from the other governmental and non-governmental organizations having expertise in the field of bio-medical waste management.

The advisory committee shall meet once in six months and review all the matter related to implementation of Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules in the Armed Forces Health Care Facilities.

- (4) Monitoring of implementation of the rules in Armed Forces health care facilities:-
- (a) The Central Pollution Control Board shall monitor the implementation of these rules in respect of all the Armed Forces health care establishments under the Ministry of Defence;
- (b) After giving prior notice to the Director General Armed Forces Medical Services, the Central Pollution Control Board along with one or more representatives of the Advisory Committee constituted under sub-rule (3) of rule 11 may, if it considers it necessary, inspect any Armed Forces health care establishments.
- (5) The Government of every State or Union Territory shall constitute District Level Monitoring Committee in the districts under the chairmanship of District Medical Officer or his nominee to monitor the compliance of Bio- Medical Waste Rules in the health care facilities generating bio-medical waste and in the Common Bio-Medical Waste Treatment and Disposal Facilities where the bio-medical waste is treated and the District Level Monitoring Committee shall submit its report once in six months to the State Advisory Committee and a copy shall also be forwarded to Central Pollution Control Board or Ministry of Environment and Forests and the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned for taking further necessary action. The District Level Monitoring Committee shall comprise of Chief Medical Officer or District Health Officer, representatives from State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, Public Health Engineering Department, Local bodies or Municipal Corporation, Indian Medical

Association, Common bio-medical waste treatment facility and registered non-governmental organisations working in the field of bio-medical waste management, headed by the District Medical Officer or his nominee. The committee may co-opt other members and experts, if necessary.

#### 12. Annual report.-

- (1) Every occupier or operator of common bio medical waste treatment facility shall submit an annual report to the prescribed authority in prescribed Form II or II A respectively by the 31<sup>st</sup> day of January of every year, to include information about the categories and quantities of bio-medical wastes handled during the preceding year.
- (2) The prescribed authority shall send this information in a compiled form to the Central Pollution Control Board by the 31<sup>st</sup> day of March of every year.
- (3) The Central Pollution Control Board shall send this information in a compiled form to the Ministry of Environment and Forests by 30<sup>th</sup> June of every year.

#### 13. Maintenance of records.-

- (1) Every authorised person shall maintain records related to the generation, collection, reception, storage, transportation, treatment, disposal and/or any other form of handling of bio-medical waste in accordance with these rules and any guidelines issued.
- (2) All records shall be subject to inspection and verification by the prescribed authority at any time.

#### 14. Accident reporting.-

When any accident occurs at any institution or facility or any other site where bio-medical waste is handled or during transportation of such waste, the authorised person shall report the accident in Form III to the prescribed authority forthwith.

#### 15. Appeal.-

(1) Any person aggrieved by an order made by the prescribed authority under these rules may, within thirty days from the date on which the order is communicated to him, prefer an appeal in Form V to the Secretary (Environment) of State government or Union Territory administration:

Provided that the authority may entertain the appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

Provided that the authority may entertain the appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) Any person aggrieved by an order of the Director General Armed Forces Medical Services under these rules may, within thirty days from the date on which the order is communicated to him, prefer an appeal in Form V to the central government in the Ministry of Environment and Forests:

Provided that the authority may entertain the appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

#### 16. Common disposal or incineration sites,-

Without prejudice to rule 5 of these rules, the Municipal Corporation, Municipal or Local Bodies, as the case may be, shall be responsible for providing suitable common disposal or incineration sites for the biomedical wastes generated in the area under their jurisdiction.

#### 17. Liability of the occupier, operator of a facility.-

- (1) The occupier or operator of a common bio- medical waste treatment facility shall be liable for all the damages caused to the environment or the public due to improper handling of bio-medical wastes or disposal of bio- medical wastes.
- (2) The occupier or operator of common bio medical waste treatment facility shall be liable for action under sections 5 and 15 of the Environment (Protection) Act, 1986.

# SCHEDULE I (See rule 4 and 7)

#### CATEGORIES OF BIO-MEDICAL WASTE

Category	Waste Category ( Type)	Treatment and Disposal Option
Category No. I	Human Anatomical Waste (human tissues, organs, body parts)	Incineration @@
Category No. 2	Animal Waste (animal tissues, organs, body parts carcasses, bleeding parts, fluid, blood and experimental animals used in research, waste generated by veterinary hospitals/colleges, discharge from hospitals, animal houses)	Incineration @@
Category No 3	Microbiology & Biotechnology Waste and other laboratory waste (wastes from clinical samples, pathology, bio-chemistry, haematology, blood bank, laboratory	Disinfection at source by chemical treatment <sup>®</sup> or by Autoclaving /microwaving followed by mutilation /shredding <sup>##</sup> and after treatment final disposal in secured landfill or

_	<del></del>		
		cultures, stocks or specimens of	disposal of recyclable wastes
		micro- organisms live or	(plastics or glass) through registered
		attenuated vaccines, human and	or authorized recyclers.
		animal cell culture used in research	
		and infectious agents from research	
	İ	and industrial laboratories, wastes	,
		from production of biological, toxins,	
		dishes and devices used for transfer of	
		cultures)	
	Category No.4	Waste sharps	Disinfection by chemical treatment <sup>@</sup>
	· ·	(needles, glass syringes or syringes	or Destruction by needle and tip
		with fixed needles, scalpels, blades,	cutters, autoclaving or microwaving
		glass, etc. that may cause puncture and	followed by mutilation or
		cuts. This includes both used and	shredding##, whichever is applicable
		unused sharps)	and final disposal though authorized
		]	CBWTF or disposal in secured
			landfill or designated concrete waste
			sharp pit.
		·	, ,
	Category No.5	Discarded Medicines and Cytotoxic	Disposal in secured land fill or
	,	drugs	Incineration @@
		(wastes comprising of outdated,	inometation.
		contaminated and discarded	
	•	medicines)	
	Category No.6	Soiled Waste	Incineration @@
	- · · · · ·	(Items contaminated with blood, and	1110111011
		body fluids including cotton,	
		dressings, soiled plaster casts, linen,	
		beddings, other material contaminated	
-	_	with blood)	
	Category No.7	Infectious Solid Waste	Disinfection by chemical treatment @
ļ		(Wastes generated from disposable	or Autoclaving or Microwaving
		items other than the waste sharps such	followed by mutilation or shredding
İ		as tubings, hand gloves, saline bottles	## and after treatment final disposal
		with IV tubes, catheters, glass,	
		intravenous sets etc).	recyclers
		1	·
	Category No. 8	Chemical Waste	Chemical treatment @ and discharge
1		(Chemicals used in production of	into drains meeting the norms
		biologicals, chemicals used in	notified under these rules and solids
	, ]	disinfection, as insecticides etc.)	disposal in secured landfill
1		ĺ	

## Notes:

- @ Chemical treatment using at least 1% hypochlorite solution or any other equivalent chemical reagent. It must be ensured that chemical treatment ensures disinfection.
- ## Mutilation/shredding must be such that so as to prevent unauthorized reuse.
- @@ There will be no chemical pretreatment before incineration. Chlorinated plastics/bags shall not be incinerated.

Disposal of bio-medical waste by deep burial shall be prohibited in Towns and Cities. Disposal by deep burial is permitted only in rural areas where there is no access to common bio-medical waste treatment facility, with prior approval from the prescribed authority. The deep burial facility shall be located as per provisions and guidelines issued by Central Pollution Control Board from time to time.

Liquid waste generated from laboratory, washing, cleaning, house keeping and disinfecting activities shall be treated so as to meet the discharge standards stipulated under these rules.

Incineration ash (ash from incineration of any bio-medical waste) shall be disposed through secured landfill, if toxic or hazardous constituents are present beyond the prescribed limits as given in Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008.

# SCHEDULE -II (See rule 8)

# COLOUR CODING AND TYPE OF CONTAINER FOR DISPOSAL OF BIO-MEDICAL WASTES

Colour coding	Type of container to be used	Waste Category Number	Treatment options as per schedule I
Yellow	Non-chlorinated plastic bags	Category 1, 2, 5, 6	Incineration
Red	Non-chlorinated plastic bags /puncture proof container for sharps	Category 3, 4,7 (4 - Waste sharps) (In the earlier Rules, Soiled wastes are for Red colour)	As per Schedule I (rule 7)
Blue	Non-chlorinated plastic bags container	Category 8 (chemical wastes)	As per Schedule I (rule 7)
Black	Non-chlorinated plastic bags	Municipal Waste	Disposal in Municipal dump sites

#### Notes:


- 1. Waste collection bags for waste types needing incineration shall not be made of chlorinated plastics.
- 2. Category 3 if disinfected locally need not be put in containers/ non-chlorinated plastic bags.
- 3. The municipal waste such as office waste (like paper waste), kitchen waste, food waste and other non infectious waste shall be stored in black coloured containers/bags and shall be disposed of in accordance with Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules 2000.

## SCHEDULE III (See Rule 8)

# LABEL FOR BIO-MEDICAL WASTE CONTAINERS/BAGS



## CYTOTOXIC HAZARD SYMBOL



## HANDLE WITH CARE

Note: Label shall be non-washable and prominently visible.

# SCHEDULE IV (See rule 8)

# LABEL FOR TRANSPORT OF BIO-MEDICAL WASTE CONTAINERS OR BAGS

	Day Month	
• .	Year	
	Date of generation	
•		
Waste category No		
Waste quantity		
Sender's Name and Address	Receiver's Name and Address	
Phone No	Phone No	
Celex No	Telex No	
ax No	Fax No	
Contact Person	Contact Person	

In case of emergency please contact.

Name and Address:

Phone No.

Note:

Label shall be non-washable and prominently visible.

## SCHEDULE V (See rule 7 and schedule 1)

# STANDARDS FOR TREATMENT AND DISPOSAL OF BIO-MEDICAL WASTES

### 1. STANDARDS FOR INCINERATORS.-

All incinerators shall meet the following operating and emission standards

### A. Operating Standards

- 1. Combustion efficiency (CE) shall be at least 99.00%.
- 2. The Combustion efficiency is computed as follows:

C.E. = 
$$\frac{\%\text{CO}_2}{\text{CO}_2}$$
 X 100  $\%\text{CO}_2 + \%\text{CO}$ 

- 3. The temperature of the primary chamber shall be  $800 \pm 50$  deg. C°.
- 4. The secondary chamber gas residence time shall be at least one second at 1050  $\pm$  50 C°, with minimum 3% Oxygen in the stack gas.

## **B.** Emission Standards

Parameters	Concentration mg/Nm <sup>3</sup> at (12% CO <sub>2</sub> correction)
(1) Particulate matter	150
(2) Nitrogen Oxides	450
(3) HCI	50
(4) Minimum stack height shall be	30 metres above ground
(5) Volatile organic compounds in	

### Note:

- (a) Suitably designed pollution control devices should be installed or retrofitted with the incinerator to achieve the above emission limits, if necessary.
- (b) Wastes to be incinerated shall not be chemically treated with any chlorinated disinfectants.
- (c) Chlorinated plastics shall not be incinerated.
- (d) Toxic metals in incineration ash shall be limited within the regulatory quantities as defined under the Hazardous Waste (Management and Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008.

- (e) Only low sulphur fuel like Light Diesel Oil or Low Sulphur Heavy Stock or iesel shall be used as fuel in the incinerator.
- (f) The Occupier or operator of a common bio-medical waste treatment facility shall monitor the stack gaseous emission (under optimum capacity of the incinerator) once in three months through a laboratory approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and record of such analysis results shall be maintained and submitted to the prescribed authority.

## 2. STANDARDS FOR WASTE AUTOCLAVING.-

The autoclave should be dedicated for the purposes of disinfecting and treating biomedical waste.

- (1) When operating a gravity flow autoclave, medical waste shall be subjected to:
  - (i) a temperature of not less than 121° C and pressure of 15 pounds per square inch (psi) for an autoclave residence time of not less than 60 minutes; or
  - (ii) a temperature of not less than 135° C and a pressure of 31 psi for an autoclave residence time of not less than 45 minutes; or
  - (iii) a temperature of not less than 149° C and a pressure of 52 psi for an autoclave residence time of not less than 30 minutes.
- (2) When operating a vacuum autoclave, medical waste shall be subjected to a minimum of one pre-vacuum pulse to purge the autoclave of all air. The waste shall be subjected to the following:
  - (i) a temperature of not less than 121° C and pressure of 15 psi per an autoclave residence time of not less than 45 minutes; or
  - (ii) a temperature of not less than 135° C and a pressure of 31 psi for an autoclave residence time of not less than 30 minutes;
- (3) Medical waste shall not be considered as properly treated unless the time, temperature and pressure indicators indicate that the required time, temperature and pressure were reached during the autoclave process. If for any reasons, time temperature or pressure indicator indicates that the required temperature, pressure or residence time was not reached, the entire load of medical waste must be autoclaved again until the proper temperature, pressure and residence time were achieved.

### (4) Recording of operational parameters:

Each autoclave shall have graphic or computer recording devices which will automatically and continuously monitor and record dates, time of day, load identification number and operating parameters throughout the entire length of the autoclave cycle.

## (5) Validation test

#### Spore testing:

The autoclave should completely and consistently kill the approved biological indicator at the maximum design capacity of each autoclave unit. Biological indicator for autoclave shall be Bacillus stearothermophilus spores using vials or spore Strips; with at least  $1X10^4$  spores per milli litre. Under no circumstances will an autoclave have minimum operating parameters less than a residence time of 30 minutes, regardless of temperature and pressure, a temperature less than  $121^\circ$  C or a pressure less than 15 psi. The occupier or operator of a common bio medical waste treatment facility shall conduct this test at least once in three months and records in this regard shall be maintained.

## (6) Routine Test

A chemical indicator strip or tape that changes colour when a certain temperature is reached can be used to verify that a specific temperature has been achieved. It may be necessary to use more than one strip over the waste package at different locations to ensure that the inner content of the package has been adequately autoclaved. The occupier or operator of a common bio medical waste treatment facility shall conduct this test during autoclaving of each batch and records in this regard shall be maintained.

#### 3. STANDARDS FOR LIQUID WASTE.-

The effluent generated or treated from the premises of occupier or operator of a common bio medical waste treatment facility, before discharge should conform to the following limits.

PARAMETERS	PERMISSIBLE LIMITS
pН	6.5-9.0
Suspended solids	100 mg/l
Oil and grease	10 mg/l
BOD	30 mg/l
COD	250 mg/l
Bio-assay test	90% survival of fish after 96 hours in 100%
	effluent.

#### 4. STANDARDS OF MICROWAVING.-

- (1) Microwave treatment shall not be used for cytotoxic, hazardous or radioactive wastes, contaminated animal carcasses, body parts and large metal items.
- (2) The microwave system shall comply with the efficacy test or routine tests and a performance guarantee may be provided by the supplier before operation of the limit.
- (3) The microwave should completely and consistently kill the bacteria and other pathogenic organisms that are ensured by approved biological indicator at the maximum design capacity of each microwave unit. Biological indicators for microwave shall be Bacillus Subtilis spores using vials or spore strips with at least 1 x 101 spores per milliliter.

#### 5. STANDARDS FOR DEEP BURIAL.-

- (1) A pit or trench should be dug about 2 meters deep. It should be half filled with waste, then covered with lime within 50 cm of the surface, before filling the rest of the pit with soil.
- (2) It must be ensured that animals do not have any access to burial sites. Covers of galvanised iron or wire meshes may be used.
- (3) On each occasion, when wastes are added to the pit, a layer of 10 cm of soil shall be added to cover the wastes.
- (4) Burial must be performed under close and dedicated supervision.
- (5) The deep burial site should be relatively impermeable and no shallow well should be close to the site.
- (6) The pits should be distant from habitation, and located so as to ensure that no contamination occurs to surface water or ground water. The area should not be prone to flooding or erosion.
- (7) The location of the deep burial site shall be authorised by the prescribed authority.
- (8) The institution shall maintain a record of all pits used for deep burial.
- (9) The ground water table level should be a minimum of six meters below the lower level of deep burial pit.

## Schedule VI [See rule 6]

# List of Authorities and the Corresponding Duties

Sl. No.	Authority	Corresponding Duties
1	Ministry of Environment and	(i) Policies concerning Bio-medical waste
•	Forests, Government of India	Management in the Country including notification of Rules and amendments to the
	·	Rules as and when required.
•		(i) Financial assistance for training and awareness programmes on bio-medical
		Waste Management related activities for the
		State Pollution Control Boards or Pollution
	·	Control Committees.
		(ii) Financial assistance for setting up of common bio-medical waste treatment and
		disposal facilities.
2	Central or State Ministry of	
	Health and Family Welfare,	Nursing Homes or Veterinary Establishments
	Central or State Ministry of	subject to obtaining of authorization from the
-	Veterinary and Animal	prescribed authority.
	Husbandry	(ii) Refusal or Cancellation of license for Health
		Care Facilities or Nursing Homes or
		Veterinary Establishments for violations of
		conditions of authorisation or provisions
		under these Rules.
		(iii) Publication of National Inventory of Health
R		Care Facilities with regard to bio-medical waste generation, treatment and disposal.
		(iv) Assessment with reference to risks to
	•	environment and health due to bio-medical
		waste.
•		(v) Constitution of Advisory Committees at
	-	National or State level for overall review and
		promotion of clean technologies for bio-
		medical waste management.
		(vi) Organizing or Sponsoring of trainings for the
		regulatory authorities on bio-medical waste
•		management related activities.
		(vii) Sponsoring of mass awareness campaigns in
		electronic media and print media.
3	Ministry of Defence	(i) Grant and renewal of authorisation to Armed
	·	Forces Health Care Establishments or

Procurement and allocation of treatment

		equipments for bio-medical waste
		management in Government Health Care Facilities.
		(iii) Advise State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees on
		implementation of these Rules.  (iv) Implementation of recommendations of the Advisory Committee.
6.	State Pollution Control Boards	(i) Inventorisation of Health Care Facilities and
	or Pollution Control Committees	bio-medical waste generation and
1.	, .	submission of annual report to Central
•		Pollution Control Board within the stipulated
		time period.
		(ii) Grant and renewal or refusal cancellation or suspension of authorization under these
		Rules (Rule 7, 8 and 10).
		(iii) Monitoring of compliance of various
		provisions and conditions of authorization.
		(iv) Action against Health Care Facilities or
		Common Bio-Medical Waste Treatment and
		Disposal Facilities for violation of these
	,	Rules (Rule 15).
		(v) Organizing training programmes to staff of
		Health Care Facilities or Common Bio-
		Medical Waste Treatment and Disposal Facilities and State Pollution Control Boards
ľ		or Pollution Control Committees staff on
•		segregation, collection, storage,
		transportation, treatment and disposal of bio- medical wastes.
	*	(vi) Undertake or support research or operational
		research regarding bio-medical waste
		management.
		(vii) Any other function under these Rules
-		assigned by Ministry of Environment and
1		Forests or Central Pollution Control Board from time to time.
		(viii) Implementation of recommendations of
ĺ		the Advisory Committee.
7	Local Bodies such as Gram	(i) Provide or allocate suitable land for
	Panchayat, Municipalities or	development of Common Bio-medical Waste
	Corporations.	Treatment and Disposal Facility for safe
		treatment and disposal of bio-medical waste
		in their respective jurisdictions.
		(ii)Any other function stipulated under these Rules
<u> </u>		Ruics

## FORM - I (See rule 9 and 10)

# APPLICATION FOR AUTHORISATION OR RENEWAL OF AUTHORISATION (To be submitted in duplicate.)

To

The Prescribed Authority
(Name of the State or UT Administration)
Address.

- 1. Particulars of Applicant
  - (i) Name of the Applicant
  - (In block letters & in full)
  - (ii) Name of the Institution:
  - (iii) Address:
  - (iv) Tele No., Fax No. Telex No.
  - (v) Email
- 2. Activity for which authorisation is sought:
  - (i) Generation
  - (ii) Collection
  - (iii) Reception
  - (iv) Storage
  - (v) Transportation
  - (vi) Treatment
  - (vii) Disposal
  - (viii) Any other form of handling
- 3. Please state whether applying for fresh authorisation or for renewal: (In case of renewal previous authorisation-number and date)
- 4. (i) Address of the institution handling bio-medical wastes:
  - (ii) Address of the place of the treatment facility:
  - (iii) Address of the place of disposal of the waste(s):
- 5. (i) Mode of transportation (in any) of bio-medical waste:
  - (ii) Mode(s) of treatment:
- 6. Brief description of method of treatment and disposal (attach details):

- 7. (i) Category (see Schedule 1) of waste to be handled
  - (ii) Quantity of waste (category-wise) to be handled per month

#### 8. Declaration

I do hereby declare that the statements made and information given above are true to the best of my knowledge and belief and that I have not concealed any information.

I do also hereby undertake to provide any further information sought by the prescribed authority in relation to these rules and to fulfill any conditions stipulated by the prescribed authority.

Date:

Signature of the Applicant

Place:

Designation of the Applicant

## Form - II (See rule 12) ANNUAL REPORT

(To be submitted to the prescribed authority by 31<sup>st</sup> January every year for the period from January to December of the preceding year, by the Health Care Facility or Health Care Establishment i.e., Occupier)

Sl.	Particulars		
Nó.		ļ	
1.	Particulars of the Occupier	:	
	(i) Name of the authorised person (occupier)	:	
	(ii) Name of the institution	:	
	(iii) Address	:	
	(iv)Tel. No, Fax. No	:	
	(v) E-mail ID	:	
	(vi) Ownership of the Health Care Facility	.;	(State Government or Private or Semi Govt. or any other)
	(vii). Status of Authorization under the Bio- Medical Waste (Management and Handling) Rules	:	Authorization No.:valid up
	(viii). Status of Consents under Water Act and Air Act	:	Valid up to:
2.	Type of Health Care Facility	1:	·
	(i) Bedded Hospital	:	No. of Beds:
	(ii). Non-bedded hospital	:	Clinic/Blood Bank or Laboratory or Veterinary Hospital or any other

					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.	Categories of Bio-medical wast	te ge	nerated	:	
ĺ	(please indicate category numbers	_			
	Medical Waste (Management an	_			
	Rules)				, · · -
	Tuies)			,	
4.	Quantity of waste generated in Kg	or To	nes per	:	Yellow Category :
	annum (on monthly average basis)				Red Category:
				,	Blue Category:
5	Additional Details:	•		L	2.00 0.00 go.
	(i) Brief details of the on-site	T:	Size	•	
	storage facility	.		•	
	storage racins,		Capaci		
		•	Provisi	ion of	on-site storage : (cold storage
			or any	other	provision)
	(ii). Brief details of the on-site	:	Inciner	ation	(Yes/No)
	treatment facilities		Autocl	aving	(Yes/No)
					(Yes/No)
			Shredd		(Yes/No)
				U	
			Needle	destr	oyer and Cutter: (Yes/No)
			Needle	destr	oyer:Nos
-			Needle	Cutte	r :Nos.
-					- / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			Liquid	Was	te Effluent Treatment Plant
	~		(Yes/N		vo Elizabili 115willow 11mil
	(iii) Installed capacity of on-site	:	. `		Kg/hr
٠.	treatment facility				Kg/batch
٠.,	,		<b>5</b>		<del>-</del> .
			Charada	vaving	:Kg/batch
	·				kg/batch
					te Effluent Treatment Plant:
		ļ			in KL
	(iv) Actual quantity of wastes	:		<del></del>	
	treated in kg or Tons per annum				
	(on monthly average basis) at on-		Microv	vaving	
	site waste treatment facility		Shredd	ing :	
			Liquid		Waste Treatment :
			••••		in KL
	(v) Actual quantity of recyclable	:			(like plastic, glass etc.)
.	wastes sold to recyclers after				
	treatment in kg or Tons per annum	·			•
	(on monthly average basis)				
•		:	Yellow	catego	orv:
ļ	disposed through common facility		Red Ca		
	operator in Kg or Tons per annum		Blue Ca		
_	(on monthly average basis)			gor.	<b>7</b> *

-	(a) Name of the Common Bio- Medical Waste Treatment Facility	:	
	Operatom through which wastes are disposed of		
	(b) Name and address of the Treatment facility with Telephone, Fax and E-mail ID		
	(vii). Mode of transportation of wastes to the Common Treatment Facility	•	
6.	Any other relevant information	•	(pl. attach schematic diagram of liquid waste effluent treatment plant, Air Pollution Control Devices attached with the Incinerator)
7.	Certified that the above	rep	ort is for the period from
	······································		

Name and Signature of the Head of the Institution

Date: Place

## Form -II A (See rule 12) ANNUAL REPORT

(To be submitted to the prescribed authority by 31<sup>st</sup> January every year for the period from January to December of the preceding year, by the Operator of a Common Bio-Medical Waste Treatment and Disposal Facility)

Sl.	Particulars		
No.	<u> </u>	,	
1	Particulars of the Operator of the Facility	:	
	(i) Name of the authorized person (operator of the facility)	:	
	(ii) Name of the Common Bio-Medical Waste Treatment and Disposal Facility	:	
	(iii) Address of the Facility	:	
	(iv)Tel. No. Fax. No	:	
	(v) E-mail ID	:	
	(vi) Ownership of the Common Bio-Medical	:	(State Government or Private or
	Waste Treatment and Disposal Facility		Semi Govt. or any other)
	(vii).Authorization under Bio-Medical Waste	:	Authorization No.:
	(Management and Handling) Rules		Validity up
			to
	(viii). Status of Consents under Water Act and Air Act	:	Valid up to:

2	. `	Bio-medical waste Categories		
	Ī	(i). Waste categories received from the	:	
	:	member Health Care Facilities or Health Care		
	i	Establishments (pl. indicate category	I	
	1	numbers as per Bio-Medical Waste		
	Į	(Management and Handling) Rules)		
	ŀ	(ii). Waste Categories generated (pl. indicate	:	
	[	category number as per Bio-Medical Waste		
		(Management and Handling) Rules)		
3		Quantity of Waste Received in Kg or Tons	:	Yellow category:
		per annum	:	Red Category:
İ			:	Blue Category:
	 	No. of vehicles used for collection and	:	
4	٠.	transportation of bio-medical waste	•	
-	A	dditional Details		
13	. A	(i) Brief details of the treatment units in the		Waste Storage Room
		Common treatment facility	-	(Yes/No)
		Common deadness taching		Incineration (Yes/No)
				Autoclaving (Yes/No)
				Microwaving (Yes/No)
				Shredding (Yes/No)
ļ				Liquid waste effluent treatment
				plant (Yes/No)
				Vehicle Washing Facility (Yes/No)
				DG Set provision (Yes/No)
				Storage and the provision of
		(ii) Installed Capacity of the treatment units		
		of the Biomedical Waste Treatment and		storage: Incineration: kg/hr
		Disposal Facility		Autoclaving
				Kg/batch
				Microwaving:
				Kg/batch
				Shredding:kg/batch  ETP for liquid waste: KL
ļ			ļ	Dir tot adom
		(iii)Category-wise quantity of bio-medical	:	Yellow category:
		waste treated in kg or tons per annum ( on		Red Category:
ļ		monthly average basis)	<del> </del>	Blue Category:
		(iv) Actual quantity of recyclable wastes	:	Red Category: (indicate item-wise
	-	sold to recyclers after treatment in kg or tons		details and the quantity)
		per annum (on monthly average basis)	· .	
		(v) Quantity of waste generated during the	:	Incineration ash:
		treatment of wastes in Kg or Tons per annum		Effluent Treatment Plant Sludge:
		(on monthly average basis)		
		(vi) Actual quantity of wastes disposed in	:	Incineration ash:
		secured landfill in Kg or Tons per annum (on		Effluent Treatment Plant Sludge:
		monthly average basis)		
		(a) Name and location of the secured landfill	:	
		where disposable wastes are disposed of		

	(vii) Mode of transportation of bio-medical wastes from Occupier to the common treatment facility	:	
6.	Any other relevant information		(pl. attach map of the Biomedical Waste Treatment and Disposal Facility indicating locations of various units, flow diagram of liquid waste effluent treatment plant, schematic diagram of incinerator with Air Pollution Control Devices)
7. ·	Certified that the above report	. i	s for the period from

Name and Signature of the Head of the Institution

Date: Place

# FORM - III (See rule 14) ACCIDENT REPORTING

1.	Date and time of accident:	•
2.	Sequence of events leading to accide	nt:
3.	The waste involved in accident:	
4.	Assessment of the effects of the accidents on human health and the er	nvironment:
5.	Emergency measures taken:	
6.	Steps taken to alleviate the effects of	accidents:
7.	Steps taken to prevent the recurrence	of such an accident:
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Signature Designation

## FORM - IV (See rule 10)

(Authorization for operating a facility for collection, reception, treatment, storage, transport and disposal of biomedical wastes.)

1.	File number of authorisation and	d date of	
issue	3		•
grant trans	ted an authorization to operate a fac sport and disposal of biomedical wa	cility for collection, reception, truste on the premises situated at	reatment storage,
	······································		
3. of iss	This authorisation shall be in for sue.	ce for a period of Ye	ears from the date
4. condi	This authorisation is subject to itions as may be specified in the		
Envir	ronment (Protection) Act, 1986.		
Date		Signature	••••
		Designation	
Term	s and conditions of authorisation *		

- 1. The authorisation shall comply with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under.
- The authorization or its renewal shall be produced for inspection at the request of 2. an officer authorised by the prescribed authority.
- The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the 3. biomedical wastes without obtaining prior permission of the prescribed authority.
- Any unauthorised change in personnel, equipment or working conditions as 4. mentioned in the application by the person authorised shall constitute a breach of his authorisation.
- It is the duty of the authorised person to take prior permission of the prescribed 5. authority to close down the facility.

<sup>\*</sup> Additional terms and conditions may be stipulated by the prescribed authority.

## भारत का राजपत्र : असाधारण

## FORM -V (See rule 15)

Application for filing appeal against order passed by the prescribed authority at district level or regional office of the Pollution Control Board acting as prescribed authority or the State or Union Territory level authority.

	1.	Name and address of the person applying for appeal:
	2.	Number, date of order and address of the authority which passed the order, against which appeal is being made (certified copy of order to be attached)
	3.	Ground on which the appeal is being made.
	4.	List of enclosures other than the order referred in para 2 against which appeal is being filed.
	*	Signature
	Dat	
		Form –VI
		(see rule 5 (3)
	Fac	port of the Operator of the Common Bio-medical Waste Treatment and Disposal ility on the Health Care Facility or Health Care Establishment not handing over Biodical Wastes for the dates the month of, the Year of
	pres	be informed immediately to the prescribed authority and also to be submitted to the scribed authority by first week of every month for the previous month, by the erator of the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility)
	01	D. 4: -1
	Sl.	Particulars
•	No.	D .: 1 C4 C C4 C 114
	1	Particulars of the Operator of the facility :
	1 1	(i) Name of the authorized person

Tarticulars	l i			-
Particulars of the Operator of the facility	:			
(i) Name of the authorized person (occupier/operator)	•			
(ii) Name of the Common Bio-medical Waste Treatment and Disposal Facility	•			
(iii) Address	:			
(iv)Tel. No, Fax. No				
(v) E-mail ID	: <u> </u>			
Total number of Health Care Facility or Health Care Establishment taken membership		Governm ent	Private	Semi- Govern ment
	Particulars of the Operator of the facility  (i) Name of the authorized person (occupier/operator)  (ii) Name of the Common Bio-medical Waste Treatment and Disposal Facility  (iii) Address  (iv)Tel. No, Fax. No  (v) E-mail ID  Total number of Health Care Facility or	Particulars of the Operator of the facility:  (i) Name of the authorized person: (occupier/operator)  (ii) Name of the Common Bio-medical Waste: Treatment and Disposal Facility (iii) Address: (iv)Tel. No, Fax. No: (v) E-mail ID: Total number of Health Care Facility or	Particulars of the Operator of the facility  (i) Name of the authorized person: (occupier/operator)  (ii) Name of the Common Bio-medical Waste: Treatment and Disposal Facility (iii) Address:  (iv)Tel. No, Fax. No: (v) E-mail ID:  Total number of Health Care Facility or Governm	Particulars of the Operator of the facility  (i) Name of the authorized person : (occupier/operator)  (ii) Name of the Common Bio-medical Waste : Treatment and Disposal Facility (iii) Address  (iv)Tel. No, Fax. No  (v) E-mail ID  Total number of Health Care Facility or Governm Private

3.	Total Average Quantity of Bio-medical Waste Generated from the member Health	:	In Kgs/Tons			
	Care Facility (HCF) or Health Care		Type of	Govt.	Priva	Semi
	Establishment (HCE) in a day/month (based		HCF or		te	-
	on authorization issued by State Pollution		HCE -	in		Gove
	Control Boards /Pollution Control		or	kgs		rnme
	Committees)		Categor			nt -
			y of		in	
			bio-		kgs	In
			medical			kgs
			waste			
			Yellow			
			Red			
			Blue			
4.	Bio-medical waste received during	:	Yellow ca	tegory:		
	the month for the period in kg or tons per	:	Red catego			
	month	:	Blue Cate	gory		
5.	List of member Health Care Facility (HCF)	:				
	or Health Care Establishment (HCE) not sent					
	bio-medical waste for the month of					
	year					

Certified that the above report is based on the records available with this Common Biomedical Waste Treatment and Disposal Facility

Date:

60

Name and signature of the Head of the Institution

Place:

[F. No. 3-1/2000-HSMD] RAJIV GAUBA, Jt. Secy.